[2024] 8 एस.सी.आर. 1263 : 2024 आई.एन.एस.सी. 659

वी.एस. पलानीवेल

बनाम

पी. श्रीराम, सी.एस., परिसमापक, आदि

(2022 का दीवानी अपील सं. 9059-9061)

28 अगस्त 2024

[हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

(i) क्या अधिकरण, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सही था कि कोविड-19 लॉकडाउन, शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार हेतु एक वैध कारण था;(ii) क्या अपीलकर्ता, यह अभिकथन करने में न्यायसंगत था कि विचाराधीन संपत्ति कम मूल्यांकित थी;(iii) क्या परिसमापक के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति गठित करना अनिवार्य था;(iv) क्या परिसमापक ने आई.बी.बी.आई. विविनियमावली, 2016 के विनियमन 33 का उल्लंघन किया था;(v) नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी कुर्की के आदेश का तात्पर्य क्या है।

निर्णय सार

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 – विनियम 47ए – क्या अधिकरण न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सही था कि शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार के लिए कोविड-19 लॉकडाउन एक वैध कारण था:

अभिनिर्धारित: परिसमापक द्वारा निगमित ऋणी के स्वामित्व वाली भूमि और भवन की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए जारी संपत्तियों की बिक्री के लिए अधिसूचना जिसने

विचाराधीन संपत्ति का आरक्षित मूल्य ₹29,55,96,375/- घोषित किया – विचाराधीन संपत्ति की ई-नीलामी दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को हुई – परिसमापक द्वारा जारी बिक्री के लिए अधिसूचना के अनुसार, नीलामी खरीदार को शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए उपलब्ध 90 दिन की अवधि, यदि दिनांक 24 दिसंबर, 2019 से गणना किया जाए, जिस तिथि को परिसमापक ने सूचित किया कि वह सफल बोलीदाता था, तो दिनांक 23 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई होती – हालांकि, दिनांक 24 दिसंबर, 2019 को परिसमापक द्वारा जारी आशय पत्र नीलामी खरीदार को दिनांक 26 दिसंबर, 2019 को प्राप्त हुआ – दिनांक 26 दिसंबर, 2019 से लेखा जोखा किए जाने पर 90 दिन की अवधि दिनांक 25 मार्च, 2020 को समाप्त हो जाती – यह स्वीकार्य है कि नीलामी खरीदार द्वारा उपर्युक्त समय सीमा के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था – उक्त राशि नीलामी खरीदार द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से केवल दिनांक 24 अगस्त, 2020 को जमा की गई थी – सर्वोच्च न्यायालय ने एक *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में कोविड-19 विषाणु के कारण देश के सामने आई चुनौती से उत्पन्न हुई स्थिति का संज्ञान लिया और दिनांक 15 मार्च, 2020 से परिसीमा का विस्तार किया – नीलामी खरीदार ने भी आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए का सहारा लिया है – अपीलकर्ता की ओर से किया गया यह निवेदन कि *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश में प्रयुक्त शब्द 'वादी' को एक संकीर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि इस तरह के नीलामी खरीदार जैसे एक पक्ष को बाहर रखा जा सके, सख्ती से स्वीकार नहीं किया जा सकता है – अपीलकर्ता को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी से घिरा हुआ था और दिनांक 25 मार्च, 2020 को एक देशव्यापी लॉकडाउन लगाई गई थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, तो नीलामी खरीदार को निर्धारित 90 दिन के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल जमा करना चाहिए था – ऐसी स्थिति में, न्यायालय द्वारा एक उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा – वर्तमान मामले में, जैसा कि उल्लेख

किया गया है, शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए 90 दिन की अवधि महत्वपूर्ण तिथि, अर्थात दिनांक 23 मार्च, 2020 के ठीक बाद समाप्त हो गई थी – अपीलकर्ता द्वारा किए गए इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं है कि अधिकरण को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि कोविड-19 लॉकडाउन शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार के लिए एक वैध कारण था। [कंडिका 32.2, 32.3, 32.5, 32.6, 32.12]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विविनियमावली, 2016 – क्या अपीलकर्ता यह आरोप लगाने में न्यायसंगत था कि विचाराधीन संपत्ति का अल्प-मूल्यांकन किया गया था:

अभिनिर्धारित: यदि अपीलकर्ता इतना आश्वस्त था कि विचाराधीन संपत्ति कहीं अधिक उच्च मूल्य प्राप्त करती, तो उसे उस बोलीदाता की पहचान करने से किसी ने नहीं रोका था जो बेहतर मूल्य की पेशकश करने के लिए इच्छुक था – वास्तव में, ऐसा सुझाव परिसमापक द्वारा 08.11.2019 के अपने पत्र में अपीलकर्ता द्वारा विचाराधीन संपत्ति के अनुमानित मूल्य पर ली गई आपत्ति के उत्तर में दिनांक 15.11.2019 को दिया गया था – पुनः, परिसमापक ने अपीलकर्ता को दिनांक 27.11.2019 का एक पत्र लिखा जिसमें सुझाव दिया गया कि बेहतर मूल्य की पेशकश करने के इच्छुक पात्र पक्षकारों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहें – अपीलकर्ता ने उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की – इसलिए, अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि चूंकि विचाराधीन संपत्ति का कर मूल्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ₹48 करोड़ से अधिक आंका गया था, परिसमापक को आरक्षित मूल्य ₹39,41,28,500/- पर निर्धारित नहीं करना चाहिए था, इस साधारण कारण से कि यद्यपि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं के प्रतिवेदनों में विचाराधीन संपत्ति का कर मूल्य ₹48 करोड़ से थोड़ा अधिक वर्णित था, लेकिन दोनों प्रतिवेदनों में परिसमापन मूल्य काफी कम था और

परिसमापक ने विचाराधीन संपत्ति का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए दो अनुमानित परिसमापन मूल्यों के औसत का सहारा लिया। [कंडिका 33.5, 33.6]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विविनियमावली, 2016 – विनियम 31ए – क्या परिसमापक के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करना अनिवार्य था:

अभिनिर्धारित: दिनांक 28.04.2022 की अधिसूचना के आधार पर, विनियम 31ए के अंत में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था जो यह स्पष्ट करता है कि हितधारकों की परामर्शदात्री समिति के गठन की आवश्यकता केवल उन परिसमापन प्रक्रियाओं पर लागू होगी जो आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के प्रारंभ होने की तिथि को/के बाद प्रारंभ होने वाली थीं – वर्तमान वाद में, कंपनी के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया 17.07.2019 को प्रारंभ हो गई थी और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा किया गया यह निवेदन कि परिसमापक ने हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन न करके आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के विनियम 31ए का उल्लंघन किया है, आधारहीन है – इसके अतिरिक्त, अभिलेख से प्रकट होता है कि परिसमापक ने 08.11.2019 को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर अपीलकर्ता द्वारा ली गई लिखित आपत्ति का 15.11.2019 को उत्तर भेजा था, जिसमें यह कहा गया था कि न तो उसने और न ही कंपनी के अन्य भूतपूर्व निदेशकों ने सी.ओ.सी. की बैठक बुलाने के लिए परिसमापक के सुझाव का उत्तर दिया था – इसके बावजूद, न तो अपीलकर्ता और न ही कंपनी के अन्य भूतपूर्व निदेशकों ने हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का हिस्सा बनने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करने के लिए कोई कदम उठाया – उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, अपीलकर्ता द्वारा ली गई आपत्ति कि परिसमापक ने विनियम 31ए का उल्लंघन किया है, संधारणीय नहीं है – न ही न्यायालय अपीलकर्ता के अनुरोध पर किए गए इस निवेदन की जांच करने के लिए इच्छुक है कि 25.07.2019 से पहले की स्थिति के अनुसार विनियम 31ए में जोड़े गए किसी स्पष्टीकरण के अभाव में,

परिसमापक के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करना अनिवार्य था। [कंडिका 34.3]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – धारा 35 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 – विनियम 33, अनुसूची I, नियम 12 – राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियमावली, 2016 – नियम 11 – क्या परिसमापक ने आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के विनियम 33 का उल्लंघन किया था:

अभिनिर्धारित: विनियम 33 के तहत अनुसूची I वह रीति प्रतिपादित करती है जिसमें निगमित ऋणी की परिसंपत्तियाँ परिसमापक द्वारा बेची जानी हैं – अनुसूची I के तहत विनियम 12 को स्वरूप में अनिवार्य के रूप में माना जाना होगा, इस कारण से कि यह 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष विक्रय प्रतिफल के गैर-भुगतान की स्थिति में एक परिणाम की परिकल्पना करता है, जो परिसमापक द्वारा बिक्री का रद्दीकरण है – उस सीमा तक, अपीलकर्ता की ओर से किए गए निवेदन में सार है कि चूंकि विनियम 12 के तहत दूसरा परंतुक 90 दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल के गैर-भुगतान पर नीलामी के रद्दीकरण के परिणाम की परिकल्पना करता है, परिसमापक समय-सीमा का विस्तार करने के लिए सशक्त नहीं था – वर्तमान मामले में, अभिलेख प्रकट करते हैं कि जब नीलामी क्रेता ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार की मांग करते हुए परिसमापक से संपर्क किया था – परिसमापक ने अपनी असमर्थता को सही ढंग से व्यक्त किया था और संकेत दिया था कि ऐसी शक्ति केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में निहित है – उपर्युक्त उत्तर प्राप्त करने पर, नीलामी क्रेता ने भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की मांग करने हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए कदम उठाए थे – यह अभिलेख का विचाराधीन है कि उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 05.05.2020 को स्वीकार किया गया था और नीलामी क्रेता को केंद्र सरकार/राज्य सरकार

द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने पर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए समय प्रदान किया गया था – उक्त आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा एन.सी.एल.टी. विनियम, 2016 के विनियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया था – वर्तमान मामले के तथ्यों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, अर्थात कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए, शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय का विस्तार करने हेतु एन.सी.एल.टी. विनियम, 2016 के विनियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ पठित आई.बी.सी. की धारा 35 के तहत सांविधिक शक्तियों का प्रयोग किया – यह छूट जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त असाधारण परिस्थितियों में दी गई थी, उसे दोष नहीं दिया जा सकता है। [कंडिका 35.1, 35.11, 35.14, 35.16]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 – अनुसूची I, नियम 12 और नियम 13 – नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी कुर्की के आदेश का तात्पर्य क्या है:

अभिनिर्धारित: नियम 12 को स्वरूप में अनिवार्य माना गया है क्योंकि समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर इसके साथ परिणाम जुड़े हुए हैं – तथापि, इसके विपरीत, नियम 13 में इसे अनिवार्य माने जाने के लिए कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताए गए हैं – उक्त नियम बिक्री के समापन के लिए प्रक्रिया प्रतिपादित करता है और इसे निर्देशात्मक माना जाना होगा क्योंकि बिक्री प्रक्रिया के समापन के उद्देश्यों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक चरण निर्धारित किए गए हैं, लेकिन उससे परे कुछ भी नहीं – इसलिए यह न्यायालय उत्तरदाताओं द्वारा किए गए उन निवेदनों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि नियम 12 में परिकल्पित गतिविधियों में से कोई भी तब तक पूरी नहीं की जा सकती थी जब तक कि आयकर

प्राधिकारियों द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटा नहीं दिया गया था या यह कि परिसमापक उस आधार पर नियम 13 के तहत बिक्री को पूरा करने की स्थिति में नहीं था – वर्तमान वाद के तथ्यों के समग्र अवलोकन पर, जो 10.02.2020 को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुर्की आदेश को हटाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने में नीलाम क्रेता की ओर से स्पष्ट व्यतिक्रम को उजागर करता है, एकमात्र प्रश्न जिसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या इस न्यायालय को नीलामी को अपास्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसके क्रम में, नीलाम क्रेता के पक्ष में परिसमापक द्वारा जारी विक्रय प्रमाण-पत्र को शून्य और अमान्य घोषित करना चाहिए, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा अभिवचन किया गया है – विचाराधीन भूमि अब एक परिचालित अस्पताल है – नीलाम क्रेता द्वारा परियोजना में भारी मात्रा में धन लगाया गया है – इसके विपरीत, अपीलकर्ता एक सतर्क वादकारी नहीं रहा है – उसने प्रत्येक चरण पर विलंब किया है – अपीलकर्ता को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में 19 महीने लग गए – साथ ही, यह एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि एक बार नीलामी की पुष्टि हो जाने के बाद, इस पर काफी सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए – दिए गए तथ्यों में, विक्रय विलेख को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 36.9, 36.12, 36.14]

न्याय दृष्टान्त

शरीफुद्दीन बनाम अब्दुल गनी लोन **[1980] 1 एस.सी.आर. 1177 : (1980) 1 एस.सी.सी. 403**; *विदर्भा इंडस्ट्रीज़ पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड* **[2022] 12 एस.सी.आर. 139 : (2022) 8 एस.सी.सी. 352**; *सी.एन. परमशिवन एवं एक अन्य बनाम सनराइज़ प्लाज़ा, अपने भागीदार के माध्यम से एवं अन्य* **[2013] 4 एस.सी.आर. 1 : (2013) 9 एस.सी.सी. 460**; *बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति* **[2018] 7 एस.सी.आर. 1147 : (2018) 9 एस.सी.सी. 472** — अवलंबन लिया गया।

जी.पी.आर. पावर सॉल्यूशन्स प्रा. लि. बनाम सुप्रियो चौधुरी **(2021) 17 एस.सी.सी. 312**; *सगुफा अहमद बनाम अपर असम पॉलीवुड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.* **[2020] 9 एस.सी.आर. 472 : (2021) 2 एस.सी.सी. 317**; *स्टैंडर्ड सर्फा केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम किशोर गोपाल सोमानी,* **2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 305**; *प्रकाश चंद्र कपूर बनाम विजय कुमार अय्यर,* **2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 622**; *यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य,* **2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1491**; *पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य* **[2019] 10 एस.सी.आर. 381 : (2019) 8 एस.सी.सी. 416**; *प्रकाश चंद्र कपूर एवं एक अन्य बनाम विजय कुमार अय्यर एवं एक अन्य,* **2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 622**; *स्विस रिबन्स (पी.) लि. एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य* **[2019] 3 एस.सी.आर. 535 : (2019) 4 एस.सी.सी. 17**; *यशोवंता नारायण दीक्षित बनाम ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड* **(2022) 15 एस.सी.सी. 569**; *यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य* **[2023] 14 एस.सी.आर. 666 : (2023) 10 एस.सी.सी. 232**; *बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम यू.पी. गन हाउस एवं अन्य* **(2024) 3 एस.सी.सी. 517**; *आर.के. इंडस्ट्रीज़ (यूनिट-II) एल.एल.पी. बनाम एच.आर. कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य* **[2022] 12 एस.सी.आर. 667 : (2024) 4 एस.सी.सी. 166**; *अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड* **[2021] 3 एस.सी.आर. 114 : (कंडिका 81 देखें) (2021) 7 एस.सी.सी. 474**; *वलजी खीमजी एंड कंपनी बनाम हिंदुस्तान नाइट्रो प्रोडक्ट (गुजरात) लि. (ऑफिशियल लिक्विडेटर)* **[2008] 12 एस.सी.आर. 1 : (2008) 9 एस.सी.सी. 299**; *सेलिर एल.एल.पी. बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य* **[2023] 13 एस.सी.आर. 53 : (2024) 2 एस.सी.सी. 1**; *के. कुमारा गुप्ता बनाम श्री मार्कंडया एवं श्री ओंकारेश्वर स्वामी*

मंदिर एवं अन्य [2022] **8 एस.सी.आर. 968 : (2022) 5 एस.सी.सी. 710 — का उल्लेख किया गया।**

अधिनियमों की सूची

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016; दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016; राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016।

मुख्य शब्दों की सूची

कोविड-19 महामारी; लॉकडाउन; नीलामी; ई-नीलामी; विक्रय प्रतिफल; भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 का विनियम 47 ए; संपत्ति का अल्प-मूल्यांकन; हितधारकों की परामर्शदात्री समिति; भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 का विनियम 33; अनिवार्य; निर्देशात्मक; भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची । का नियम 12; भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची । का नियम 13; आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्की आदेश; सतर्क वादी; समय का विस्तार; नीलामी खरीदार; सार्वजनिक नीलामी।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय अधिकारिता: 2022 का दीवानी अपील संख्या 9059-9061

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, चेन्नई के दिनांक 16.09.2022 के निर्णय और आदेश से, जो 2021 के सीएएटी (सीएच) (आई) संख्या 336, 339 और 343, में दिया गया था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए: पी. चिदंबरम, वरीय अधिवक्ता, बी. रघुनाथ, प्रसन्ना वेंकट, श्रीमती एन.सी. कविता, श्रीराम पी., अधिवक्तागण।

उत्तरदाताओं के लिए: सी. यू. सिंह, अरविंद दातार, वरीय अधिवक्तागण, के.वी. विजयकुमार, के.वी. श्रीवास नारायणन, के.वी. विभु प्रसाद, सत्यनारायणन, वी. बालचंद्रन, सिद्धार्थ नायडू, पृथ्वी राज जे.एस., मैसर्स के.एस.एन. एंड कंपनी, अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

हिमा कोहली, न्यायमूर्ति

क. पृष्ठभूमि

1. अपीलकर्ता – वी.एस. पलानीवेल (मैसर्स श्री लक्ष्मी होटल प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारक/पूर्व प्रबंध निदेशक) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण, चेन्नई पीठ[1] द्वारा पारित दिनांक 16 सितंबर, 2022 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपीलें दायर की हैं, जो उनके द्वारा तीन कंपनी अपीलों[2] में दायर की गई थीं। उक्त कंपनी अपीलों का विवरण इस प्रकार है: (i) कंपनी अपील संख्या 336, वर्ष 2021 (वर्ष 2022 का विचाराधीन दीवानी अपील संख्या 905,), जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चेन्नई पीठ[3] द्वारा पारित दिनांक 17 नवंबर, 2021 के सामान्य निर्णय के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन[4] को अस्वीकार कर दिया गया था, जिसमें *अन्य बातों के साथ* यह प्रार्थना की गई थी कि परिसमापक, श्री लक्ष्मी होटल प्राइवेट लिमिटेड को उसके द्वारा दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई ई-नीलामी के संबंध में सभी कार्यवाही को रोकने, नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति को विभाजित करने के एक वैकल्पिक तरीके पर काम करने और भूमि के केवल एक भाग को बेचने और वित्तीय लेनदार को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने

---

1 संक्षेप में 'अधिकरण'

2 कंपनी अपील (ए.टी.) (सी.एच.) (इन्स.) सं. 336/2021; कंपनी अपील (ए.टी.) (सी.एच.) (इन्स.) सं. 339/2021 तथा कंपनी अपील (ए.टी.) (सी.एच.) (इन्स.) सं. 343/2022

3 संक्षेप में 'न्यायनिर्णायक प्राधिकारी'

4 2020 का एम.ए. सं. 120

के निर्देश जारी किए जाएं।(ii) कंपनी अपील संख्या 339, वर्ष 2021 (वर्ष 2022 का विचाराधीन विषय दीवानी अपील संख्या 9060), न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम आवेदन[5] पर पारित दिनांक 17 नवंबर, 2021 के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए एक आवेदन[6] पर पारित दिनांक 05 मई, 2020 के अपने आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।(iii) कंपनी अपील संख्या 343, वर्ष 2021 (वर्ष 2022 का विचाराधीन विषय दीवानी अपील संख्या 9061), जो अपीलकर्ता द्वारा सफल बोलीदाता, मैसर्स के.एम.सी. स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स (इंडिया)[7] लिमिटेड द्वारा केंद्र/राज्य लॉकडाउन हटाने के बाद शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार हेतु ले जाए गए एक आवेदन को अनुमति देते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016[8] की धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को दायर की गई थी। उपर्युक्त सभी अपीलें अधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 16 सितंबर, 2022 के अंतर्गत खारिज कर दी गईं।

2. शुरुआत में यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2022 की दीवानी अपील सं. 9059 अब अस्तित्व में नहीं है क्योंकि नीलामी कार्यवाहियां पहले ही संपन्न हो चुकी हैं और नीलाम क्रेता द्वारा विक्रय राशि जमा करने पर, परिसमापक ने इसके पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया है। इसलिए, वर्तमान निर्णय का दायरा 2022 की दीवानी अपील सं. 9060 और 9061 तक ही सीमित है।

ख. <u>घटनाओं का क्रम</u>

5 वर्ष 2020 के आई.ए. एस.आर. संख्या 944 दिनांक 25 सितंबर, 2020 को

6 सी.पी./1140/आई.बी./2018 में एम.ए./689/2019 में वर्ष 2020 का आई.ए. 335

7 संक्षेप में 'नीलामी खरीदार'

8 संक्षेप में 'आई.बी.सी.'

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। श्री लक्ष्मी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड[9], एक पारिवारिक अभिनिर्धारित संस्था जिसमें चार शेयरधारक थे, अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बहू, ने तिरुचिरापल्ली में 67,533 वर्ग फुट की एक अचल संपत्ति[10] खरीदी। कंपनी ने उक्त परिसर से एक होटल और एक बार चलाना शुरू कर दिया। वर्ष 2006 में, कंपनी ने एक वित्तीय लेनदार से ₹1,57,25,000/- (एक करोड़ सत्तावन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का ऋण लिया। जब कंपनी और वित्तीय लेनदार के बीच विवाद उत्पन्न हुए, तो बाद वाले ने पक्षों को शासित करने वाले माध्यस्थम् खंड को लागू किया। माध्यस्थम् अधिकरण ने दिनांक 27 दिसंबर, 2014 को, वित्तीय लेनदार के पक्ष में ₹2,21,08,244/- (दो करोड़ इक्कीस लाख आठ हजार दो सौ चौवालीस रुपये मात्र) की राशि का अधिनिर्णय दावा याचिका की तिथि से प्राप्ति की तिथि तक 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ पारित किया। कंपनी ने माध्यस्थम् और सुलह अधिधियम, 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उक्त अधिनिर्णय को चुनौती दी, लेकिन उक्त याचिका को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 2017[11] के आदेश से खारिज कर दिया गया।

4. माध्यस्थम् अधिनिर्णय के अंतर्गत पुरस्कृत राशि का गैर-भुगतान होने पर, वित्तीय लेनदार ने कंपनी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई.बी.सी. की धारा 7 के अंतर्गत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन[12] दायर किया। उक्त याचिका को दिनांक 28 फरवरी, 2019 को स्वीकार कर लिया गया और उत्तरदाता संख्या 2 को अंतरिम समाधान पेशेवर[13] के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में, उन्हें समाधान पेशेवर और

---

9 संक्षेप में 'कंपनी/निगमित ऋणी'

10 ओल्ड नंबर 3 ए, न्यू नंबर 27, अलेक्जैंड्रिया रोड, छावनी, तिरुचिरापल्ली-620001 पर स्थित

11 2015 का मूल याचिका सं. 137

12 सी.पी./1140/(आई.बी.)/सी.बी./2018

13 संक्षेप में 'अंतरिम समाधान पेशेवर'

अंत में, परिसमापक के रूप में पुष्टि दी गई। अभिलेखों के अनुसार, निगमित ऋणी के पुनरुद्धार के लिए कोई समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई और लेनदारों की समिति[14] ने सिफारिश की कि कंपनी का परिसमापन किया जाए। उक्त सिफारिशों को दिनांक 17 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया।

5 उपर्युक्त के अनुसरण में, परिसमापक ने विचाराधीन संपत्ति के मूल्यांकन का एक अनुमान देने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया। मूल्यांकनकर्ताओं ने अपने प्रतिवेदन इस प्रकार प्रस्तुत किए:

क्र.सं.	मूल्यांकनकर्ता का नाम	कर मूल्य	परिसमापन मूल्य
1.	सुश्री विजयालक्ष्मी	₹48,03,00,000	₹40,82,57,000
2.	श्री आर.एस. बाबू राजेंद्रन	₹48,48,00,000	₹38,00,00,000
	ई-नीलामी के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारित करने हेतु औसत परिसमापन मूल्य		₹39,41,28,500

उपर्युक्त प्रतिवेदनों के आधार पर, परिसमापक विचाराधीन संपत्ति के औसत मूल्य, अर्थात ₹39,41,28,500/- (रूपये उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ मात्र) पर पहुँचा और 25 नवंबर, 2019 को एक नीलामी निर्धारित की, जिसमें आरक्षित मूल्य उपर्युक्त आंकड़े पर निर्धारित था। दिनांक 08 नवंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से, अपीलकर्ता ने आरक्षित मूल्य के निर्धारण पर आपत्ति की। परिसमापक ने उक्त संचार का उत्तर दिया और उसकी आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया। उसने अपीलकर्ता से हितधारकों की समिति में एक व्यक्ति को नामित करने का अनुरोध भी किया, जिसे करने में अपीलकर्ता विफल रहा।

6. जब परिसमापक को पहली नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तो उसने 23 दिसंबर, 2019 को दूसरी नीलामी निर्धारित करते हुए एक सूचना प्रकाशित की। इस बार, आरक्षित मूल्य में

14 संक्षेप में 'सी ओ सी'

25% की कमी की गई अर्थात यह ₹39,41,28,500/- (रूपये उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार पाँच सौ मात्र) से घटकर ₹29,55,96,375/- (रूपये उनतीस करोड़, पचपन लाख छियानवे हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) हो गया। मैसर्स के.एम.सी. स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स (इंडिया) लिमिटेड दूसरी नीलामी प्रक्रिया में एकमात्र बोलीदाता थी और ₹2,95,59,698/- (रूपये दो करोड़ पचानवे लाख उनसठ हजार छह सौ अठानवे मात्र) की बयाना राशि जमा करने पर, यह सफल बोलीदाता के रूप में उभरी।

7. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016[15] के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची-I के नियम 12 के संदर्भ में, सफल बोलीदाता को मांग की तिथि से 90 दिन के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक था। परिसमापक ने नीलामी क्रेता को शेष विक्रय राशि की मांग करते हुए 24 दिसंबर, 2019 का एक पत्र प्रेषित किया। यद्यपि अपीलकर्ता की ओर से आरंभ में यह तर्क दिया गया था कि शेष राशि का भुगतान करने के लिए 90 दिनों की अवधि की गणना 24 दिसंबर, 2019 से की जानी चाहिए न कि 26 दिसंबर, 2019 से, जिस तारीख को नीलामी क्रेता को परिसमापक से संचार प्राप्त हुआ था, बाद में उक्त दलील पर गंभीरता से जोर नहीं दिया गया। यदि कोई नीलामी क्रेता के लिए शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने हेतु 90 दिनों की अवधि की गणना करने के लिए बाहरी सीमा लेता है, जिसकी गणना 26 दिसंबर, 2019 से की जाती है, वह तारीख जब नीलामी क्रेता को परिसमापक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ, तो उक्त अवधि 25 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई होती। यह विवाद में नहीं है कि शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा 90 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया गया था। उक्त राशि का भुगतान केवल 24 अगस्त, 2020 को किया गया था।

8. अपीलकर्ता ने नीलामी कार्यवाही को अपास्त करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक विविध आवेदन[4] दायर किया। उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा

15 आई.बी.बी.आई विनियम, 2016

दिनांक 17 नवंबर, 2021 के सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस बीच, कोविड-19 महामारी के शुरू होने के कारण, भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन लगा दी। दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को, नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन ले गया। कोविड-19 महामारी के शुरू होने की याचना करने के अलावा, नीलामी खरीदार द्वारा समय के विस्तार के लिए लिए गए आधारों में से एक यह था कि आयकर प्राधिकारी ने नीलाम की गई संपत्ति को कुर्क करने का एक आदेश पारित कर दिया था। उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए दिया गया समय क्रमशः केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने तक स्थगित कर दिया गया।

9. उपर्युक्त आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने 19 महीने बाद, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को, एक कंपनी अपील[16] दायर की। उससे बहुत पहले, नीलामी खरीदार ने दिनांक 24 अगस्त, 2020 को नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर दिया और परिसमापक द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2020 को नीलामी खरीदार के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया गया। विक्रय लेनदेन के पूरा होने के एक महीने बाद, अपीलकर्ता ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए और विक्रय विलेख दिनांक 28 अगस्त, 2020 को चुनौती देते हुए दिनांक 25 सितंबर, 2020 को एक आवेदन[5] दायर किया। दिनांक 17 नवंबर, 2021 के सामान्य आदेश के आधार पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए दोनों आवेदन खारिज कर दिए, एक दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को आयोजित की गई ई-नीलामी को रोकने के लिए और दूसरा विक्रय विलेख दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अपास्त करने के लिए। उक्त आदेशों को अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील में ले जाया

16 2021 का कंपनी अपील (ए.टी.) (आई.एन.एस.) सं. 334

गया। दिनांक 16 सितंबर, 2022 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, अधिकरण ने अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई अपीलें खारिज कर दीं, जिससे वर्तमान अपीलें उत्पन्न हुईं।

ग. <u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क</u>

10. अपीलकर्ता की ओर से पेश होते हुए श्री पी. चिदंबरम, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिकरण यह सराहना करने में विफल रहा कि परिसमापक द्वारा आयोजित की गई नीलामी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन थी, विशेष रूप से विनियम 31ए जिसमें एक परिसमापक के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करना आवश्यक है और विनियम 33 जो अनुसूची I में निर्दिष्ट तरीके से नीलामी के माध्यम से निगमित ऋणी की संपत्तियों के विक्रय के तरीके को निर्धारित करता है। ***<u>सी.एन. परमशिवन और एक अन्य बनाम सनराइज़ प्लाज़ा माध्यम से भागीदार और अन्य</u>***[17] में दिए गए निर्णय पर अवलंबन करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची I, नियम 12 अनिवार्य है और इसका कोई भी गैर-अनुपालन विक्रय को रद्द करने में परिणत होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा ***<u>शर्फुद्दीन बनाम अब्दुल गनी लोन</u>***[18] में दिए गए निर्णय का उदाहरण दिया गया ताकि यह बात साबित की जा सके कि जब नियम अनुपालन में विफलता के लिए एक परिणाम प्रदान करता है, तो इसे अनिवार्य और न कि निर्देशात्मक चरित्र का माना जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि विनियमों के अनिवार्य चरित्र को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने यह सराहना करने में गलती की है कि नीलामी खरीदार न तो शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार की मांग कर सकता था और न ही उसे ऐसी रियायत दी जा सकती थी। उपर्युक्त के साथ यह निवेदन भी जुड़ा हुआ है कि परिसमापक

---

17 [2013] 4 एस.सी.आर. 1 : (2013) 9 एस.सी.सी. 460

18 [1980] 1 एस.सी.आर. 1177 : (1980) 1 एस.सी.सी. 403

दिनांक 26 अगस्त, 2019 के एक परिपत्र के आधार पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के संशोधित प्रावधानों को लागू करने में चयनात्मक था।

11. अपीलकर्ता की ओर से पेश होते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किया गया दूसरा निवेदन यह था कि अधिकरण को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए नीलामी खरीदार को दी गई छूट को वैध मानने में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से सहमत नहीं होना चाहिए था। यह निवेदन किया गया कि चूंकि उस समय बैंक कार्य कर रहे थे, इसलिए नीलामी खरीदार के पास शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने का पूरा अवसर था। इसलिए, उसके पास समय पर भुगतान नहीं करने का कोई बचाव नहीं था। यह आगे निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित और नीलामी खरीदार द्वारा ***जी.पी.आर. पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुप्रियो चौधरी***[19] में अवलंबन किए गए आदेश, साथ ही 2020 की दीवानी अपील संख्या 1902[20] में पारित दिनांक 02 मार्च, 2020 के आदेश और दिनांक 12 मई, 2020 के आदेश का लाभ उसे नहीं मिल सकता था क्योंकि उक्त आदेश परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाएँ, आवेदन, वाद, अपील या अन्य कार्यवाही दायर करने पर लागू होते थे। ***सगुफा अहमद बनाम अपर असम पॉलीवुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड***[21] में दिए गए निर्णय का उदाहरण देते हुए विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (दीवानी) संख्या 3/2020 में दिनांक 23 मार्च, 2020 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश केवल उन सतर्क वादियों के लाभ के लिए था जिन्हें महामारी और लॉकडाउन के कारण परिसीमा की अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने से रोका गया था। नीलामी खरीदार न्यायालय के समक्ष वादी नहीं था और उक्त आदेश का लाभ नहीं ले सकता था। नीलामी खरीदार को न तो शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए

19 (2021) 17 एस.सी.सी. 312

20 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. एवं अन्य

21 [2020] 9 एस.सी.आर. 472 : (2021) 2 एस.सी.सी. 317

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करने की और न ही अधिकरण के समक्ष कोई याचिका दायर करने की आवश्यकता थी।

12. इसके बाद अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्की का आदेश एक अप्रासंगिक विचार है जहाँ तक इसका संबंध नीलामी क्रेता द्वारा 90 दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने से है। नीलामी के निबंधन और शर्तों का हवाला देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ई-नीलामी '*यथास्थिति, जहाँ है, जैसी है*' के आधार पर संचालित की गई थी और नीलामी की उक्त सूचना के खंड 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि बिक्री आई.बी.सी. और आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के अधीन होगी। इसलिए, नीलामी क्रेता को यह कहने के लिए नहीं सुना जा सकता कि वह आयकर कुर्की आदेश से अनभिज्ञ था। विचाराधीन संपत्ति के लिए बोली लगाने और इस शर्त पर सहमत होने के बाद कि शेष विक्रय राशि 90 दिनों के भीतर जमा की जानी थी, नीलामी क्रेता नीलामी की शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य था और ऐसा करने में विफल रहने पर, परिसमापक को नीलामी क्रेता को समायोजित करने के बजाय बिक्री को रद्द कर देना चाहिए था।

13. अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह मानते हुए भी कि शेष विक्रय प्रतिफल के लिए भुगतान करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, 2020 थी, जैसा कि दूसरी तरफ से आग्रह किया गया था, परिसीमा की अवधि 23 जुलाई, 2020 को फिर से शुरू हो जाती क्योंकि परिसमापक ने 23 मार्च, 2020 और 23 जुलाई, 2020 के बीच की अवधि को अपवर्जित करने की मांग करते हुए एक आवेदन[22] ले गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, नीलामी खरीदार के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2020 को, अर्थात् उस तिथि से गिनने पर एक महीने की अवधि के बाद जब अपवर्जन अवधि समाप्त हो गई थी, भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था।

घ. <u>नीलामी खरीदार के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क</u>

---

22 आई.ए. सं. 202/2021 इन सी.पी./1140/आई.बी./20181.

14. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का खंडन करते हुए, नीलामी खरीदार की ओर से पेश होते हुए श्री अरविंद दातार, वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत सभी कार्रवाइयों को पूरा करने का समय कोविड-19 परिपत्रों और इस न्यायालय द्वारा शुरू की गई *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका[23] में पारित आदेशों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए के साथ पढ़ते हुए दिनांक 15 मार्च, 2020 से आगे बढ़ाया गया था। इसलिए, बाद की तिथि पर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने में नीलामी खरीदार की ओर से कोई व्यतिक्रम नहीं थी। **जी.पी.आर. पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड** (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देते हुए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विस्तार आदेशों को इस न्यायालय द्वारा समाधान पेशेवरों के समक्ष लेनदारों द्वारा दावों की प्रस्तुतियां पर भी लागू किया गया था। इस कारण से, यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि विस्तार केवल न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष वादकारियों पर लागू हो सकता है, जैसा कि दूसरे पक्ष द्वारा आग्रह किया जाने का प्रयास किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए ***स्टैंडर्ड सर्फा केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम किशोर गोपाल सोमानी***[24] और ***प्रकाश चंद्र कपूर बनाम विजय कुमार अय्यर***[25] के निर्णयों का उदाहरण दिया गया कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा निर्देशात्मक है और अनिवार्य चरित्र की नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता द्वारा ***सी.एन. परमशिवन (उपर्युक्त)*** पर यह तर्क देने के लिए अवलंबन करना कि 90 दिन की समय-सीमा पूर्ण है, गलत है क्योंकि ऋण वसूली अधिकरण[26] और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी

23 *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (दीवानी) संख्या 3, वर्ष 2020, 'परिसीमा के विस्तार का संज्ञान, संदर्भ में', जो (2020) 19 एस.सी.सी. 10 में प्रतिवेदित है

24 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 305

25 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 622

26 संक्षेप में 'डी.आर.टी.'

को शासित करने वाले प्रावधान समान नहीं हैं। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि डी.आर.टी. के विपरीत, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण विनियमावली, 2016[27] के नियम 11 के अंतर्गत विशेष निहित शक्तियाँ हैं। इसके अलावा, यहां तक कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम[28] के अंतर्गत शुरू किए गए मामलों में भी, इस न्यायालय ने कोविड-19 लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए एक नीलामी खरीदार को विस्तार प्रदान किया था। इसके लिए, विद्वान वरीय अधिवक्ता ने ***यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***[29] में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12 मई, 2020[30] के आदेश का संदर्भ दिया। इसी तरह, उन्होंने निवेदन किया कि अपीलकर्ता की ओर से संदर्भित ***सगुफा अहमद*** वाद (उपर्युक्त), वर्तमान वाद के तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता है, इस कारण से कि उक्त वाद में, अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की समय-सीमा 15 मार्च, 2020 से पहले समाप्त हो गई थी, जो यहां ऐसा नहीं था क्योंकि नीलामी क्रेता के लिए शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने की समय-सीमा 22 मार्च, 2020 को भारत सरकार द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा के बाद समाप्त हुई थी।

15. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि आयकर कुर्की आदेश हटाए जाने के बाद नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार हेतु दिनांक 28 फरवरी, 2020 को परिसमापक को आवेदन किया था। परिसमापक ने उक्त संचार का उत्तर केवल दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को दिया जिसमें कहा गया था कि उसके पास समय बढ़ाने की शक्तियाँ नहीं हैं और जिसके लिए, आंशिक रूप से कार्य फिर से शुरू होने के बाद

---

27 संक्षेप में 'एन.सी.एल.टी. विनियमावली, 2016'

28 संक्षेप में 'एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम'

29 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1491

30 दीवानी अपील संख्या 1902, वर्ष 2020 में पारित दिनांक 12 मई, 2020 का आदेश

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन ले जाना होगा। स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने एक अधिसूचना जारी की थी कि वह दिनांक 16 मार्च, 2020 और 27 मार्च, 2020 के बीच केवल तत्काल मामलों की सुनवाई करेगा। दिनांक 22 मार्च, 2020 को, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने लॉकडाउन के मद्देनजर समापन की घोषणा की और यह स्पष्ट किया गया कि परिसमापन मामलों को तत्काल नहीं माना जाएगा। नीलामी खरीदार ने समय के विस्तार की मांग करते हुए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन[31] दायर किया। दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश द्वारा, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने उक्त आवेदन को अनुमति दी और नीलामी खरीदार को शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय का विस्तार प्रदान किया। यह निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 61 में निर्धारित अवधि के भीतर उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके बजाए, पूरे विक्रय लेनदेन के पूरा होने के बाद, अपीलकर्ता ने समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। 15 महीने तक इंतजार करने के बाद, अपीलकर्ता ने दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को एक अपील दायर की। उस चरण पर भी, अपीलकर्ता ने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अधिकरण के समक्ष कोई अंतरिम आदेश नहीं मांगे। परिणामस्वरूप, नीलामी खरीदार ने मौजूदा भवन को गिराने के बाद नीलाम की गई संपत्ति पर एक 200 बिस्तरों वाले मातृ और शिशु अस्पताल का निर्माण किया, जिसमें ₹1,70,00,000/- (एक करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र) की राशि का निवेश किया गया है। उक्त अस्पताल अब पूरा हो चुका है और पूरी तरह से कार्यरत है और कहा जाता है कि यह क्षेत्र के आस-पास के सात जिलों की जरूरतों को पूरा करता है।

---

31 सी.पी. संख्या/1140/आई.बी./सी.बी./2018 में 2019 का एम.ए. संख्या 689, में आई.ए. संख्या 335/आई.बी./2020

16. अगला, अपीलकर्ता की ओर से किए गए इस निवेदन पर आते हुए कि नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी कुर्की का आदेश जब 90 दिन के भीतर नीलामी खरीदार द्वारा शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने की बात आई, तो एक प्रासंगिक विचार नहीं है, नीलामी खरीदार के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह आग्रह करने की मांग की कि आयकर कुर्की आदेशों के विचाराधीन संपत्तियों के विक्रय को एक अलग पायदान पर माना जाना चाहिए। आयकर अधिनियम, 1961[32] के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंध के कारण ऐसे विक्रय लेनदेन पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इस संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 222 और 281 को अनुसूची 2, भाग-III के नियम 48 के साथ पढ़ते हुए एक विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी[33] के कई निर्णयों का उदाहरण दिया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में, परिसमापक के पास उपयुक्त निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वर्तमान मामले में भी, परिसमापक को उपयुक्त निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन करना पड़ा था। उक्त आवेदन को दिनांक 10 फरवरी, 2020 को अनुमति दी गई थी। हालांकि, दिनांक 10 फरवरी, 2020 को पारित आदेश परिसमापक को केवल दिनांक 14 मई, 2020 को प्राप्त हुआ। कोविड-19 की स्थिति के कारण कई बाधाओं के कारण, विचाराधीन संपत्ति की वास्तविक कुर्की केवल दिनांक 27 अगस्त, 2020 को हटा ली गई। उससे कुछ दिन पहले, नीलामी खरीदार ने दिनांक 24 अगस्त, 2020 को शेष विक्रय

---

32 संक्षेप में 'आई.टी. अधिनियम'

33 **बी.एम.एम. इस्पात लिमिटेड बनाम रामदास इस्पात**, 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 21322, **इलाहाबाद बैंक बनाम बायोटर**, 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 26716, **संजय कुमार अग्रवाल बनाम कर वसूली अधिकारी**, 2019 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 28888, **अभ्युदय सहकारी बैंक बनाम शिवकृपा**, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 11935, **यू.बी.आई. बनाम गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन**, 2020 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 14829, **अशोक कुमार दीवान बनाम आयकर सहायक कमिश्नर**, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन 4368, **मॉरीशस कमर्शियल बैंक बनाम वरुण कॉरपोरेशन**, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 6814, **मिलिंद कासोडेकर बनाम पी. महाजन**, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.टी. 11616।

प्रतिफल जमा कर दिया और विक्रय लेनदेन अंततः दिनांक 28 अगस्त, 2020 को पूरा हो गया।

17. अपीलकर्ता की ओर से किए गए इस निवेदन का खंडन करते हुए कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची I का खंड 12 सफल बोलीदाता को मांग की तिथि से 90 दिन के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए आवश्यक करता है और इस समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता, नीलामी खरीदार के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनुसूची I के नियम 12 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के नियम 13 के साथ पढ़कर देखा जाना चाहिए और कुर्की के मामलों में, विक्रय विलेख के पूरा होने और निष्पादन के साथ ही पूरी राशि का भुगतान किया जाना होगा। वर्तमान मामले में, उक्त कदम आयकर प्राधिकारियों द्वारा कुर्की हटाए जाने के बाद ही उठाए जा सकते थे।

18. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिए ***पायनियर अर्बन लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य***[34] और ***प्रकाश चंद्र कपूर और एक अन्य बनाम विजय कुमार अय्यर और एक अन्य***[35] पर अवलंबन किया कि परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47 के अंतर्गत परिकल्पित परिसमापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा प्रकृति में केवल निर्देशात्मक है।

19. नीलामी खरीदार के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के आचरण को उजागर करते हुए निष्कर्ष निकाला और कहा कि वह बार-बार देय धन का भुगतान करने में विफल रहा है; उसने नीलामी प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया; उसने विचाराधीन परिसर से चल रहे बार को हटाने से इनकार कर दिया और विचाराधीन संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के लिए पुलिस

---

34 [2019] 10 एस.सी.आर. 381 : (2019) 8 एस.सी.सी. 416

35 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 622

सहायता लेनी पड़ी। इसलिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी और अधिकरण द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्ष, सुविचारित होने के कारण, हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपर्युक्त निवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस स्थिति में कि यह न्यायालय इस राय का है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची I का नियम 12 अनिवार्य है और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए सशक्त नहीं था, तो यह न्यायालय पूर्ण न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है लेकिन नीलामी विक्रय को अपास्त नहीं किया जाना चाहिए।

ङ **उत्तरदाता संख्या 1 - परिसमापक की ओर से प्रस्तुत तर्क**

20. उत्तरदाता संख्या 1 - परिसमापक की ओर से पेश होते हुए श्री सी.यू. सिंह, वरीय अधिवक्ता ने नीलामी खरीदार के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया। उन्होंने निवेदन किया कि अपीलकर्ता ने विचाराधीन संपत्ति के ₹39,41,28,500/- (उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार और पांच सौ रुपये मात्र) के मूल्यांकन के संबंध में आधारहीन आरोप लगाए हैं। उक्त आरोपों का उत्तर परिसमापक द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2019 के पत्र द्वारा दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आरक्षित मूल्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निकाले गए औसत परिसमापन मूल्य पर आधारित था। अपीलकर्ता के इस दावे का खंडन करते हुए कि विचाराधीन संपत्ति का मूल्यांकन ₹1,00,00,00,000/- (एक सौ करोड़ रुपये मात्र) पर किया जाना चाहिए था, यह निवेदन किया गया कि ₹39,41,00,000/- (उनतालीस करोड़ और इकतालीस लाख रुपये मात्र) के आरक्षित मूल्य पर भी नीलामी में भाग लेने के लिए कोई बोलीदाता आगे नहीं आया था। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची I के कंडिका 4ए के साथ पढ़े गए विनियम 33 का संदर्भ दिया गया और कहा गया कि दूसरी नीलामी दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को आरक्षित मूल्य में 25% की अनुमेय कटौती के साथ आयोजित

की गई थी, जो ₹29,95,96,375/- (उनतीस करोड़ पंचानवे लाख छियानवे हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र) पर निर्धारित किया गया था। इस तथ्य से अपीलकर्ता को विधिवत सूचित किया गया था, जो विचाराधीन संपत्ति के लिए एक बेहतर बोली प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया।

21. इस निवेदन का खंडन करते हुए कि परिसमापक द्वारा हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन किए बिना नीलामी आयोजित की गई थी, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उस समय प्रासंगिक बिंदु पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस स्थिति को विनियमों में दिनांक 25 जुलाई, 2019 की अधिसूचना द्वारा डाले गए धारा 31ए से संलग्न स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान मामले में, परिसमापन प्रक्रिया उक्त अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू हो गई थी। इसके अलावा, अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसी अधिसूचना के आधार पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची I के नियम 12 में किया गया संशोधन लंबित परिसमापन प्रक्रिया पर लागू होगा।[36] विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में, ऐसी आपत्ति अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2020 को दायर किए गए प्रत्याहार आवेदन में पहली बार उठाई गई थी, जिस तिथि तक विक्रय की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। यह निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता को ऐसी आपत्ति उठाने से विबंध है क्योंकि परिसमापक द्वारा हितधारकों की परामर्शदात्री समिति में एक व्यक्ति को नामित करने के लिए उसे बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, उसने ऐसा नहीं किया था।

22. परिसमापक के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि कोविड-19 महामारी ने दिनांक 20 मार्च, 2020 से आगे एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण एक असाधारण बाधा पैदा की थी। नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार हेतु एक आवेदन ले गया था, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश

---

36 सुंदरेश भट के मामले में अवलंबन किया गया है, 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एन.सी.एल.ए.टी. 624

द्वारा विधिवत अनुमति दी गई, जिसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने तक समय का विस्तार किया गया। शेष विक्रय प्रतिफल नीलामी खरीदार द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2020 को जमा किया गया। उक्त राशि प्राप्त होने पर, परिसमापक ने दिनांक 27 अगस्त, 2020 को आयकर विभाग के बकाया दावे का निपटान किया, जिसके बाद आयकर कुर्की हटा ली गई और परिसमापक ने दिनांक 28 अगस्त, 2020 को नीलामी खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित और पंजीकृत किया। यह बताया गया कि अपीलकर्ता ने नीलामी खरीदार के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित और पंजीकृत होने के 14 महीने बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया, जो उसकी गैर-गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने ***पायनियर अर्बन लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य***[37] में दिए गए निर्णय का उदाहरण दिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7(5), 9(5) और 10 (4) में निर्धारित समय-सीमा निर्देशात्मक है और अनिवार्य चरित्र की नहीं।

23. परिसमापक के विद्वान अधिवक्ता ने परिसीमा की अवधि के विस्तार के पहलु पर नीलामी खरीदार की ओर से किए गए निवेदनों का समर्थन किया और निवेदन किया कि *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में दिखाई देने वाले अभिव्यक्ति "वाद" और "वादी" को सबसे व्यापक आयात दिया जाना चाहिए ताकि परिसमापन कार्यवाही सहित सभी कार्यवाही को शामिल किया जा सके। किसी स्पष्ट प्रतिबंध के अभाव में, उक्त आदेश दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत की गई परिसमापन कार्यवाही में आयोजित नीलामी प्रक्रिया पर भी लागू होगा, खासकर तब जब परिसमापक को इस न्यायालय द्वारा ***स्विस रिबन्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य***[38] में एक *अर्ध-न्यायिक*

---

37 [2019] 10 एस.सी.आर. 381 : (2019) 8 एस.सी.सी. 416

38 [2019] 3 एस.सी.आर. 535 : (2019) 4 एस.सी.सी. 17

प्राधिकरण अभिनिर्धारित किया गया है। ***जी.पी.आर. पावर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड*** (उपर्युक्त) पर भी अवलंबन किया गया है कि आग्रह करने के लिए कि कोविड-19 महामारी के कारण समय का अपवर्जन उन मामलों में भी अनुमति दी गई थी जहां दावों को समाधान पेशेवरों के समक्ष दायर किया जाना था।

च. **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रतिउत्तर तर्क</u>**

24. अपने प्रतिउत्तर तर्कों में, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दूसरे पक्ष द्वारा अवलंबन किए गए इस न्यायालय के निर्णयों को करने की प्रयास किया, जिसमें ***यशोवंता नारायण दीक्षित बनाम ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड***[39] और 2020 की दीवानी अपील संख्या 1902 में पारित दिनांक 02 मार्च, 2020 और 12 मई, 2020 के आदेश शामिल थे। ***यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***[40] में दिए गए निर्णय पर अवलंबन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय ने उल्लेख किया था कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विनियमावली, 2002[41] के नियम 9 (4) के अंतर्गत, देय क्रय मूल्य की शेष राशि को उक्त मामले में विक्रय की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले भुगतान किया जाना था और भले ही उक्त उप-नियम को एक उदार व्याख्या दिया जाए, और न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों को भी, ब्याज के साथ शेष राशि जमा करने का समय केवल दिनांक 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाया जा सकता था और उसके बाद समय का कोई और विस्तार नहीं दिया जा सकता था। इस न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 मूल विधि से अलग होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह निवेदन किया गया कि भले ही नीलामी खरीदार को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17 नवंबर, 2021 के आदेश का लाभ लेने की अनुमति दी गई थी, वह जमा

---

39 (2022) 15 एस.सी.सी. 569

40 [2023] 14 एस.सी.आर. 666 : (2023) 10 एस.सी.सी. 232

41 संक्षेप में 'एस.आई.ई. नियम, 2002'

करने की अंतिम तिथि को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक ले जा सकता था, जबकि नीलामी खरीदार ने दिनांक 24 अगस्त, 2020 तक शेष विक्रय प्रतिफल जमा नहीं किया।

25. उत्तरदाताओं के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा किए गए उस निवेदन पर आगे बढ़ते हुए कि आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के विनियम 47 के तहत परिसमापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमाएं स्वरूप में निर्देशात्मक हैं और अनिवार्य नहीं, अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त निवेदन को पुष्ट करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा उद्धृत निर्णय, तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं। यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने ***पायनियर अर्बन लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड*** (उपर्युक्त) में स्वयं अभिनिर्धारित किया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7(5), 9(5) और 10(4) में उल्लिखित समय-सीमा प्रकृति में निर्देशात्मक है क्योंकि यदि उल्लेखित अवधि से अधिक हो जाता है, तो वे कोई परिणाम प्रदान नहीं करते। तथापि, आई.बी.बी.आई. विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के तहत अनुसूची I के नियम 12 में उपयोग किया गया शब्द "करेगा" है। नियम 12 के तहत दूसरा परंतुक एक परिणाम का प्रावधान करता है कि यदि राशि का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो बिक्री को रद्द कर दिया जाएगा। **प्रकाश चंद्र कपूर** (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय को भी इन्हीं आधारों पर भिन्न बताने का प्रयास किया गया है। विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अनुसूची I के अंतर्गत सभी नियमों में, नियम 11 को छोड़कर, शब्द "करेगा" का उपयोग किया गया है और ***विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड***[42] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि एक प्रावधान "सकेगा" शब्द का उपयोग करता है, और दूसरा प्रावधान "करेगा" शब्द का उपयोग करता है, तो जहां भी "करेगा" शब्द का उपयोग किया गया है, उसे अनिवार्य माना जाएगा। उक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, यह नीलामी खरीदार के लिए अनिवार्य था कि उसने नीलाम की गई संपत्ति के संबंध में शेष विक्रय प्रतिफल 90 दिन के भीतर और अंतिम तिथि

42 [2022] 12 एस.सी.आर. 139 : (2022) 8 एस.सी.सी. 352

पर, या दिनांक 23 जुलाई, 2020 से पहले जमा किया हो, जब लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो गई थी।

26. जहां तक नीलामी खरीदार द्वारा किए गए इस निवेदन का संबंध है कि आयकर कुर्की दिनांक 27 अगस्त, 2020 को ही हटा ली गई थी और इसलिए, कुर्की हटाए जाने से पहले शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने का उसके लिए कोई अवसर नहीं था, अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिनांक 10 फरवरी, 2020 को आयकर विभाग को कुर्की हटाने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया था, और उक्त आदेश खुले न्यायालय में घोषित होने के कारण, उत्तरदाताओं की जानकारी में होना चाहिए था, जो यह याचिका नहीं ले सकते कि उक्त आदेश उन्हें बहुत बाद में संप्रेषित किया गया था और इसलिए, वे उससे अनजान थे। यह आगे तर्क दिया गया कि आयकर विभाग द्वारा कुर्क की गई राशि का भुगतान वास्तव में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को, नीलामी खरीदार द्वारा जमा की गई बयाना राशि में से किया गया था। जबकि आयकर विभाग ने विचाराधीन संपत्ति के संबंध में कुर्की हटाने का आदेश केवल दिनांक 27 अगस्त, 2020 को पारित किया, नीलामी खरीदार ने शेष राशि का भुगतान करने के लिए तब तक इंतजार नहीं किया। शेष विक्रय प्रतिफल नीलामी खरीदार द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनांक 24 अगस्त, 2020 को जमा किया गया, जो आयकर विभाग द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2020 को आदेश पारित करने की तिथि से तीन दिन पहले था। यह स्थिति होने के कारण, नीलामी खरीदार द्वारा 90 दिन की अवधि की समाप्ति पर दिनांक 25 मार्च, 2020 को या उससे पहले इसी समान तरीके से (आर.टी.जी.एस. के माध्यम से) शेष राशि का भुगतान आसानी से किया जा सकता था, जिसमें वह बुरी तरह विफल रहा।

27. नीलामी खरीदार द्वारा लिए गए इस याचिका का खंडन करते हुए कि आयकर अधिनियम की धारा 281 के अंतर्गत, एक विक्रय को आयकर विभाग द्वारा किसी भी दावे के विरुद्ध शून्य माना जाएगा, जो उसके द्वारा शेष राशि का भुगतान नहीं करने का कारण बताया गया था,

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ऐसी याचिका आधारहीन है क्योंकि नीलामी खरीदार मूल्यांकन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करके शेष राशि का भुगतान कर सकता था। आयकर कुर्की शेष विक्रय प्रतिफल के भुगतान के रास्ते में बाधा नहीं बनी। 'विक्रय प्रतिफल का भुगतान' और 'विक्रय विलेख का निष्पादन' अभिव्यक्तियों के बीच अंतर करने की मांग की गई। न्यायालय का ध्यान नीलामी की तिथि से बहुत पहले स्पष्टीकरण मांगते हुए दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को नीलामी खरीदार को जारी किए गए परिसमापक के दिनांक 09 दिसंबर, 2019 के संचार के जवाब में दिए गए पत्र पर भी आकर्षित किया गया। परिसमापक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विचाराधीन संपत्ति को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत बेचा जा रहा था और आयकर विभाग का दावे में कोई प्राथमिकता नहीं हो सकती थी। किसी भी स्थिति में, आयकर देय राशि ₹2,44,00,000/- (दो करोड़ और चवालीस लाख रुपये मात्र) तक सीमित थी और उक्त राशि को विक्रय आय में से आयकर विभाग के पास जमा किया जा सकता था। यह परिसमापक द्वारा प्रदान किए गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर था कि नीलामी खरीदार ने नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया था और एक बार बोली में सफल होने पर, वह नीलामी की तिथि से 90 दिन के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए बाध्य था।

28. उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए इस रुख पर सवाल उठाते हुए कि विनियम 31ए, जो परिसमापक के लिए उक्त विनियम में निर्दिष्ट मामलों पर सलाह देने के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति के गठन को आवश्यक करता है, जिसमें विनियम 32 के अंतर्गत संपत्तियों का विक्रय, विक्रय का तरीका, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा की राशि आदि शामिल हैं, दिनांक 25 जुलाई, 2019 से प्रभावी संशोधित किया गया था और विनियम 31ए में स्पष्टीकरण ने उक्त विनियम को संभावित बना दिया, अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिसमापक के पास यह जानने की दूरदर्शिता नहीं हो सकती थी कि ऐसा स्पष्टीकरण बहुत बाद में, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना द्वारा विनियम 31ए से

जोड़ा जाएगा। दूसरे शब्दों में, जैसा कि उक्त विनियम वर्ष 2019 में था, परिसमापक के लिए हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करना अनिवार्य था और अब दिया गया स्पष्टीकरण, एक शुद्ध बाद का विचार है।

29. एक और तर्क यह दिया गया कि यदि यह माना जाता है कि नीलामी खरीदार कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश का आश्रय ले सकता था, जिसे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए के साथ पढ़ा जाता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 17 नवंबर, 2021 के आदेश के प्रकाश में, नीलामी खरीदार द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया जा सकता था और उससे आगे नहीं।

30. विद्वान वरीय अधिवक्ता ने दूसरे पक्ष द्वारा किए गए इस निवेदन पर कि अपीलकर्ता का आचरण दिखाता है कि वह परिसमापन प्रक्रिया में बाधा डाल रहा था, उसका जोरदार विरोध करते हुए निष्कर्ष निकाला। उन्होंने ***बंबई मर्कैंटाइल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड बनाम यू.पी. गन हाउस और अन्य***[43] में दिए गए निर्णय को तथ्यों पर अलग बताने की मांग की और निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलों में पारित दिनांक 05 दिसंबर, 2023 के आदेश द्वारा, नीलामी खरीदार को कोई भी तीसरा पक्ष अधिकार बनाने से रोका गया था। यह तर्क दिया गया कि यदि विक्रय को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची I के नियम 12, दूसरे परंतुक के अंतर्गत रद्द कर दिया जाता और विचाराधीन संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाता, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि उससे कहीं अधिक राशि प्राप्त होती। लेकिन जिस मामूली तरीके से उत्तरदाताओं ने खुद को संचालित किया है, उसके कारण अपीलकर्ता और शेयरधारकों ने मूल्यवान संपत्ति खो दी है और भारी नुकसान उठाया है। उपर्युक्त निवेदन पर

43 (2024) 3 एस.सी.सी. 517

प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि न्यायालय अपीलों के विरोध में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, तो यह केवल उचित होगा कि नीलामी खरीदार को संपत्ति के मूल्य के नुकसान के लिए अपीलकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए, जिसका मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा वर्ष 2019 में ₹48,00,00,000/- (अड़तालीस करोड़ रुपये मात्र) पर किया गया था।

छ. <u>चर्चा और विश्लेषण</u>

31. इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है, अभिलेखों और दोनों पक्षों द्वारा उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है। अब हम अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों को क्रमशः लेंगे।

32. **<u>कोविड-19 महामारी और परिसीमा पर इसका प्रभाव</u>**

32.1 कॉर्पोरेट ऋणी के स्वामित्व वाली भूमि और भवन की ई-नीलामी आयोजित करने के लिए परिसमापक द्वारा जारी परिसंपत्तियों के विक्रय की अधिसूचना के साथ ही शुरुआत हो गई, जिसमें विचाराधीन संपत्ति का आरक्षित मूल्य ₹29,55,96,375/- (उनतीस करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र) घोषित किया गया था। इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि के रूप में जमा करना आवश्यक था, जो ₹2,95,59,638/- (दो करोड़ पंचानवे लाख उनसठ हजार छह सौ अड़तीस रुपये मात्र) था। ई-नीलामी के कुछ प्रासंगिक नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

> "1. ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है वैसा है" और "जो कुछ भी है उस आधार पर" मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (नीलामी टाइगर) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

2. इच्छुक बोलीदाताओं को, अपनी बोली जमा करने से पहले, अपने स्वयं के खर्च पर अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संपत्ति का निरीक्षण करना चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। ....

xxxx

8. सफल बोलीदाता की बयाना राशि को विक्रय प्रतिफल के अंश के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा। परिसमापक सफल बोलीदाता को आशय पत्र जारी करेगा और सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा आशय पत्र जारी होने पर 90 के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि - बयाना राशि) जमा करनी होगी। बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतानों पर 12% की दर से ब्याज लगेगा। आशय पत्र में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि (बयाना राशि) का 10% जब्त हो जाएगा।

xxxxx

10. परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्ताव(वों) को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/मुल्तवी/ रद्द करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को नीलामी कार्यवाही से हटाने का पूर्ण अधिकार है।

xxxxx

12. विक्रय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा।

xxxxx"

32.2 विचाराधीन संपत्ति की ई-नीलामी दिनांक 23 दिसंबर, 2019 को हुई। परिसमापक द्वारा जारी विक्रय की अधिसूचना के अनुसार, यदि नीलामी खरीदार के लिए शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए उपलब्ध 90 दिन की अवधि की गणना दिनांक 24 दिसंबर, 2019 से की जाती है, जिस तिथि को परिसमापक ने सूचित किया था कि वह सफल बोलीदाता है, तो वह दिनांक 23 मार्च, 2020 को समाप्त हो जाती। हालांकि, परिसमापक द्वारा दिनांक 24 दिसंबर, 2019 को जारी आशय पत्र[44] नीलामी खरीदार को दिनांक 26 दिसंबर, 2019 को प्राप्त हुआ। दिनांक 26 दिसंबर, 2019 से गिनने पर 90 दिन की अवधि दिनांक 25 मार्च, 2020 को समाप्त हो जाती। यह स्वीकार किया गया है कि नीलामी खरीदार द्वारा उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त राशि नीलामी खरीदार द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से केवल दिनांक 24 अगस्त, 2020 को जमा की गई।

32.3 शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने में देरी को स्पष्ट करने के लिए, नीलामी खरीदार ने *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश का सहारा लेने की मांग की, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था:

आदेश

> "1. इस न्यायालय ने कोविड-19 विषाणु के कारण देश के सामने आने वाली चुनौती और उसके परिणामस्वरूप देश भर के वादियों को सामान्य परिसीमा विधि या विशेष कानूनों (दोनों केंद्रीय और/या राज्य) के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा की अवधि के भीतर अपनी याचिकाओं/आवेदनों/वादों/ अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को दायर करने में होने वाली संभावित कठिनाइयों के मद्देनजर स्वयं संज्ञान लिया है।

---

44 संक्षेप में 'एल.ओ.आई.'

> 2. ऐसी कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिवक्ताओं/वादियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में ऐसी कार्यवाहियों को दायर करने के लिए शारीरिक रूप से न आना पड़े, यह आदेश दिया जाता है कि सभी ऐसी कार्यवाहियों में परिसीमा की अवधि, सामान्य विधि या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा की परवाह किए बिना, चाहे वह क्षम्य हो या नहीं, दिनांक 15-03-2020 से इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में पारित किए जाने वाले अगले आदेश(शों) तक बढ़ी हुई मानी जाएगी।
>
> 3. हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को अनुच्छेद 141 के साथ पढ़ते हुए इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं और घोषित करते हैं कि यह आदेश सभी न्यायालयों/अधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141 के अर्थ में एक बाध्यकारी आदेश है।
>
> 4. यह आदेश सभी उच्च न्यायालयों के ध्यान में लाया जाए ताकि उनके संबंधित अधिकार क्षेत्रों के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों को सूचित किया जा सके...।"

32.4 पूरा करने के लिए, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि उपर्युक्त *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निपटान दिनांक 08 मार्च, 2021 के आदेश द्वारा किया गया। उक्त आदेश का परिचालन कंडिका निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

> "1. ... हमारा मत है कि दिनांक 23-03-2020 के आदेश ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए, परिसीमा का विस्तार समाप्त होना चाहिए।

2. हमने आगे की कार्यवाही के संबंध में भारत के विद्वान महान्यायवादी के सुझावों पर विचार किया है। हम निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

2.1. किसी भी वाद, अपील, आवेदन या कार्यवाही के लिए परिसीमा की अवधि की गणना करने में, दिनांक 15-03-2020 से दिनांक 14-03-2021 तक की अवधि अपवर्जित मानी जाएगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 15-03-2020 को शेष बची परिसीमा की शेष अवधि, यदि कोई हो, दिनांक 15-03-2021 से उपलब्ध हो जाएगी।

2.2. उन मामलों में जहां परिसीमा दिनांक 15-03-2020 से दिनांक 14-03-2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो जाती, बची हुई परिसीमा की वास्तविक अवधि की परवाह किए बिना, सभी व्यक्तियों को दिनांक 15-03-2021 से 90 दिन की परिसीमा अवधि प्राप्त होगी। यदि दिनांक 15-03-2021 से प्रभावी परिसीमा की वास्तविक शेष अवधि 90 दिन से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी।

2.3. माध्यस्थम् और सुलह अधिधियम,1996 की धारा 23(4) और 29-ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12-ए और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के परंतुक (ख) और (ग) और किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत निर्धारित अवधियों (जिनमें कार्यवाही संस्थित करने की परिसीमा अवधियाँ, बाहरी सीमाएँ (जिसके भीतर न्यायालय या अधिकरण विलंब को माफ कर सकते हैं) और कार्यवाही की समाप्ति शामिल हैं) की

गणना करने में भी दिनांक 15-03-2020 से दिनांक 14-03-2021 तक की अवधि अपवर्जित मानी जाएगी।

2.4. भारत सरकार नियंत्रण क्षेत्रों के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन करेगी, जिसमें यह कहा जाएगा:

'चिकित्सा आपात स्थितियों, आवश्यक सामानों और सेवाओं के प्रावधानों और अन्य आवश्यक कार्यों, जैसे कि समयबद्ध आवेदन (जिनमें कानूनी उद्देश्यों के लिए शामिल हैं) और शैक्षणिक तथा नौकरी से संबंधित आवश्यकताओं के लिए विनियमित आवागमन की अनुमति दी जाएगी।'

3. *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का तदनुसार निपटान किया जाता है।"

32.5 नीलामी खरीदार ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए का भी सहारा लिया है, जिसे दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को डाला गया था और दिनांक 17 अप्रैल, 2020 से प्रभावी बनाया गया था।[45] विनियम 47ए लॉकडाउन की अवधि के अपवर्जन का प्रावधान करता है और निम्नानुसार पढ़ता है:

"लॉकडाउन की अवधि का अपवर्जन

47ए. संहिता के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई लॉकडाउन की अवधि को किसी भी कार्य के लिए समय-सीमा की गणना के उद्देश्यों के लिए नहीं गिना जाएगा, जो किसी भी परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में ऐसी लॉकडाउन के कारण पूरा नहीं किया जा सका था।"

---

45 अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.059 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा

32.6 विनियम 47ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विनियम का लाभ न केवल किसी भी वाद के संस्थापन के लिए उपलब्ध कराया गया था, बल्कि परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय-सीमा की गणना के लिए भी उपलब्ध कराया गया था, जो लॉकडाउन की घोषणा के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। हम अपीलकर्ता की ओर से किए गए इस निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश में उपयोग किए गए शब्द 'वादी' को एक संकीर्ण व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि वर्तमान मामले में नीलामी खरीदार जैसे पक्ष को अपवर्जित किया जा सके क्योंकि वह सख्ती से एक ऐसा वादी नहीं था जिसे सामान्य परिसीमा विधि या विशेष कानूनों के अंतर्गत निर्धारित परिसीमा की अवधि के भीतर किसी भी न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकरण के समक्ष कोई याचिका/आवेदन/वाद/अपील या अन्य कार्यवाही दायर करनी थी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि किसी भी निर्णय को न तो किसी विधि की तरह पढ़ा जा सकता है और न ही किसी निर्णय में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों को एक संकीर्ण अर्थ दिया जा सकता है या कम किया जा सकता है। कोविड-19 के प्रकोप की बड़ी संदर्भगत पृष्ठभूमि में, एक उदार व्याख्या को अपनाना होगा और नीलामी खरीदार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए के साथ पढ़े गए दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश के लाभ का हकदार होगा। अपीलकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि जब पूरा देश कोविड-19 महामारी की चपेट में था और दिनांक 25 मार्च, 2020 को एक देशव्यापी लॉकडाउन लगाई गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था, तो नीलामी खरीदार को निर्धारित 90 दिन के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल जमा करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में, न्यायालय द्वारा एक नरम रुख अपनाना होगा।

32.7 मामले की तथ्यात्मक संरचना को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कोविड-19 महामारी मार्च, 2020 के महीने में फूट पड़ी थी। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2020 को कर्फ्यू लगाया गया था, जिससे जनता के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने एक अधिसूचना जारी की थी कि दिनांक 16 मार्च, 2020 और 27 मार्च, 2020 के बीच केवल अत्यावश्यक मामलों पर ही विचार किया जाएगा। उपर्युक्त अवधि के पूरा होने से पहले, केंद्र सरकार ने 21 दिन के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक एक देशव्यापी लॉकडाउन घोषित की थी, जिस अवधि को बाद में दिनांक 03 मई, 2020 तक बढ़ाया गया था। इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23 मार्च, 2020 को आया, जिसमें परिसीमा की अवधि को दिनांक 15 मार्च, 2020 से आगे अगले आदेशों तक बढ़ाया गया, जो आदेश समय-समय पर बढ़ाया गया। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने भी दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 में संशोधन करने और विनियम 47ए को शामिल करने का निर्णय लिया।

32.8 दिनांक 28 फरवरी, 2020 को, नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार की मांग करते हुए परिसमापक से संपर्क किया। यह कहा गया था कि शेष विक्रय प्रतिफल विचाराधीन संपत्ति के पंजीकरण की तिथि पर भुगतान किया जाएगा और कोई भी ब्याज न लगाने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 02 अप्रैल, 2020 को, परिसमापक ने नीलामी खरीदार को सूचित किया कि वह शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय-सीमा में छूट देने के लिए सशक्त नहीं है और उसे उचित राहत के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए। परिसमापक से प्राप्त उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए, नीलामी खरीदार ने दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया,[46] जिसमें विभिन्न आधारों पर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए समय के विस्तार की मांग की गई, जिसमें यह याचिका भी शामिल थी कि विचाराधीन संपत्ति के संबंध में आयकर कुर्की का आदेश था और कोविड-19 महामारी ने बहुत बाधा उत्पन्न की थी। यह यही आवेदन था जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2020 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें नीलामी खरीदार को केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाए जाने तक शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने का समय दिया गया।

32.9 ***जी.पी.आर. पावर सॉल्यूशंस*** (उपर्युक्त) में, जो नीलामी खरीदार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया एक मामला है, उसमें अपीलकर्ता कॉर्पोरेट ऋणी का एक लेनदार था जिसने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 7 के अंतर्गत विलंबित दावा दायर किया था, जिसे विलंब के आधार पर समाधान पेशेवर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उक्त विलंब को न तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने और न ही अधिकरण ने माफ़ किया था। *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित आदेशों के प्रकाश में, इस न्यायालय द्वारा दोनों आदेशों को उलट दिया गया था। हम इस याचिका पर शीर्षक वाले मामले में अपीलकर्ता और यहां नीलामी खरीदार के बीच अंतर करने से इनकार करते हैं कि नीलामी खरीदार को कोई याचिका/आवेदन/वाद/अपील या अन्य कार्यवाही दायर करने की आवश्यकता नहीं थी जो परिसीमा की अवधि द्वारा सीमित थी। *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित आदेश का मूल उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण लगाई गई लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को दूर करना था। हमारी राय में, ऐसा आदेश भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए में परिकल्पित अनुसार,

---

46 सीपी/1140/2018 में एम.ए./689/2019 में एम.ए./335/2020

परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में किए जाने वाले किसी भी कार्य तक भी विस्तारित होगा।

32.10 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबन किए गए ***<u>सगुफ़ा अहमद</u>*** (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि नीलामी खरीदार इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को पारित आदेश का लाभ नहीं ले सकता, तथ्यों के आधार पर अलग बताया जा सकता है। उक्त मामले में, अपीलकर्ता के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए उपलब्ध 45 दिन की सांविधिक अवधि 02 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी और वह अतिरिक्त 45 दिन की अवधि जिसे अधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 421(3) के परंतुक के आधार पर माफ़ कर सकता था, वह 18 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई थी, जबकि अपील वास्तव में 20 जुलाई, 2020 को दायर की गई थी। यह उल्लेख करते हुए कि लॉकडाउन 24 मार्च, 2020 को लगाई गई थी और उपर्युक्त मामले में अपीलकर्ता के लिए 18 मार्च, 2020 से पहले अपील दायर करने में कोई बाधा नहीं थी, इस न्यायालय ने पक्ष को *स्वतः संज्ञान* विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित दिनांक 23 मार्च, 2020 के आदेश का सहारा लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और राय व्यक्त की थी कि उक्त आदेश उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए था जो अपने अधिकारों के प्रति सतर्क थे।

32.11 अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा उल्लिखित ***<u>रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड</u>*** (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय भी अपने विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है, जहां आवेदक – नीलामी खरीदार द्वारा विचाराधीन संपत्ति का शेष विक्रय मूल्य भुगतान करने के लिए समय के विस्तार हेतु लगातार आवेदन किए गए थे। न्यायालय द्वारा समय का विस्तार देकर लंबी ढील दिए जाने के बावजूद, आवेदक टालमटोल करता रहा और व्यतिक्रम करता रहा। उपर्युक्त आचरण के मद्देनजर, न्यायालय ने प्रतिभूतिकरण

और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) विनियमावली 2002[47] के नियम 9 के उप-नियम (4) और (6) का संदर्भ दिया जो विक्रय का समय, विक्रय प्रमाणपत्र जारी करना और कब्जा सौंपना निर्धारित करते हैं और टिप्पणी की कि भले ही उक्त उप-नियमों को एक उदार निर्माण दिया जाए, आवेदक – नीलामी खरीदारों द्वारा पेश किए गए आवेदनों पर न्यायालय द्वारा पारित लगातार आदेशों के मद्देनजर, विचाराधीन से संबंधित मूल सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत समय-सीमा को बढ़ाना अनुमेय नहीं था। वर्तमान मामले के तथ्य अलग होने के कारण, अपीलकर्ता उपर्युक्त निर्णय का लाभ नहीं ले सकता।

32.12 वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है, शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए 90 दिन की अवधि महत्वपूर्ण तिथि, अर्थात् 23 मार्च, 2020 के ठीक बाद समाप्त हो गई थी। हम अपीलकर्ता द्वारा किए गए इस निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि अधिकरण को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि कोविड-19 लॉकडाउन शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के समय के विस्तार के लिए एक वैध कारण था।

33. **<u>विचाराधीन संपत्ति के कम मूल्यांकन के संबंध में आरोप</u>**

33.1 अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता का तर्क यह है कि परिसमापक को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन से कम आरक्षित मूल्य तय करके विचाराधीन संपत्ति की नीलामी नहीं करनी चाहिए थी। इस निवेदन पर विचार करने के लिए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की योजना की जांच करना आवश्यक है जो कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पर लागू होती है। विनियमों के अध्याय VI, जिसका शीर्षक '*परिसंपत्तियों की वसूली*' है, उसमें संपत्तियों के विक्रय (विनियम 32), निरंतर इकाई के रूप में कॉर्पोरेट ऋणी के विक्रय (विनियम 32ए),

47 संक्षेप में 'एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम'

विक्रय का तरीका (विनियम 33), परिसंपत्ति ज्ञापन की तैयारी (विनियम 34), बेची जाने वाली परिसंपत्तियों या व्यवसायों का मूल्यांकन (विनियम 35), परिसंपत्ति विक्रय प्रतिवेदन की तैयारी (विनियम 36), प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूति हित की वसूली (विनियम 37), आसानी से वसूली योग्य न होने वाली परिसंपत्तियों का समनुदेशन (विनियम 37ए), अविक्रेय परिसंपत्तियों का वितरण (विनियम 38), देय धन की वसूली (विनियम 39) और अनपेक्षित पूंजी/अदत्त पूंजी योगदान की वसूली (विनियम 40) से संबंधित विनियमों की एक सूची शामिल है। यह देखा जा सकता है कि अध्याय VI के अंतर्गत आने वाले ये सभी विनियम मुख्य रूप से परिसंपत्तियों की वसूली से संबंधित हैं और परिसमापक को उक्त वसूली से संबंधित कई कर्तव्यों के साथ कार्य सौंपा गया है।

33.2 विनियम 33 निर्धारित करता है कि एक परिसमापक साधारणतया अनुसूची I में निर्दिष्ट तरीके से नीलामी के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों का विक्रय करेगा। विनियम 35 परिसमापक को विनियम 32 में सूचीबद्ध परिसंपत्तियों या व्यवसायों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त करने की अनुमति देता है। पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने और परिसंपत्ति/व्यवसाय के वसूली योग्य मूल्य का अनुमान प्रस्तुत करने पर, प्राप्त दो अनुमानों का औसत परिसंपत्ति/व्यवसाय का मूल्य माना जाता है। यह उक्त विनियमों के प्रकाश में था कि यहां परिसमापक ने विचाराधीन संपत्ति के मूल्यांकन का एक अनुमान देने के लिए दो पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं को नियुक्त किया था और ई-नीलामी आयोजित करने के उद्देश्यों के लिए उनके द्वारा दो अनुमानों का औसत ₹39,41,28,500/- (उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ रुपये मात्र) तय किया गया था।

33.3 परिसमापक द्वारा आरक्षित मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी करके उसे ₹29,55,96,375/- (उनतीस करोड़ पचपन लाख छियानवे हज़ार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र) तक लाने पर अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति का उत्तर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची I के नियम 4ए में दिया गया है, जो इस प्रकार है:

> "(4ए) जहां एक नीलामी आरक्षित मूल्य पर विफल हो जाती है, परिसमापक बाद की नीलामी आयोजित करने के लिए ऐसे मूल्य के पच्चीस प्रतिशत तक आरक्षित मूल्य को कम कर सकता है।"

32.4 यह स्वीकार किया गया है कि परिसमापक द्वारा 25 नवंबर, 2019 को प्रकाशित ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय की अधिसूचना के पहले दौर में, उसे कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप, परिसमापक ने 23 दिसंबर, 2019 को दूसरी नीलामी आयोजित करने के लिए विचाराधीन संपत्ति के आरक्षित मूल्य को 25 प्रतिशत कम कर दिया, जिसमें नीलामी खरीदार को सफल बोलीदाता घोषित किया गया। हमारे विचार में, परिसमापक को अनुसूची I के नियम 4ए के अंतर्गत उसमें निहित विवेकाधिकार का उपयोग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब पहले निर्धारित नीलामी में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। वास्तव में, नियम 4बी परिसमापक को बाद की नीलामियों के लिए नियम 4ए के अंतर्गत तय किए गए आरक्षित मूल्य को कम करने के लिए सशक्त करता है जिसमें एक शर्त होती है कि मूल्य को एक बार में 10 प्रतिशत से अधिक कम नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में उक्त आकस्मिकता उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि नीलामी खरीदार को नीलामी के दूसरे दौर में सफल बोलीदाता घोषित किया गया था।

32.5 यदि अपीलकर्ता इतना आत्मविश्वासी था कि विचाराधीन संपत्ति कहीं अधिक मूल्य प्राप्त करती, तो उसे एक बोलीदाता की पहचान करने से किसी ने नहीं रोका जिसने एक बेहतर मूल्य की पेशकश करने की इच्छा रखी होती। वास्तव में, ऐसी सलाह परिसमापक द्वारा 15 नवंबर, 2019 के अपने जवाब में अपीलकर्ता को दी गई थी जो उसने 8 नवंबर, 2019 के अपने पत्र में विचाराधीन संपत्ति के अनुमानित मूल्य पर उठाई गई आपत्ति के संबंध में दिया था। परिसमापक ने कहा था कि "यदि आप इतने आत्मविश्वासी हैं कि संपत्ति ₹100.00 करोड़ से अधिक प्राप्त कर सकती है, तो आप प्रस्तावित खरीदारों को लाने और उन्हें बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहने के लिए स्वतंत्र हैं।" पुनः, परिसमापक ने 27 नवंबर, 2019 को अपीलकर्ता को एक पत्र लिखा जिसमें बेहतर मूल्य की पेशकश करने के इच्छुक पात्र पक्षों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहने का सुझाव दिया गया। अपीलकर्ता ने उसके बाद कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की।

32.6 इसलिए, अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूंकि विचाराधीन संपत्ति का कर मूल्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ₹48 करोड़ से अधिक अनुमानित किया गया था, इसलिए परिसमापक को आरक्षित मूल्य ₹39,41,28,500/- (उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार पांच सौ रुपये मात्र) तय नहीं करना चाहिए था क्योंकि यद्यपि पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की प्रतिवेदनों में विचाराधीन संपत्ति का कर मूल्य ₹48 करोड़ से थोड़ा अधिक बताया गया था, लेकिन दोनों प्रतिवेदनों में परिसमापन मूल्य बहुत कम था और परिसमापक ने विचाराधीन संपत्ति का आरक्षित मूल्य तय करने के लिए दो अनुमानित परिसमापन मूल्यों के औसत पर पहुंचा।

34. **<u>हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन न होना और इसका प्रभाव</u>**

34.1 यह तर्क दिया गया है कि परिसमापक ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 31ए का उल्लंघन किया है जो उसे हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करने के लिए आवश्यक करता है। तत्काल संदर्भ के लिए, विनियम 31ए को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है:

> **"31ए. हितधारकों की परामर्शदात्री समिति।**
>
> (1) परिसमापक विनियम 31 के अंतर्गत तैयार हितधारकों की सूची के आधार पर, परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर एक परामर्श समिति का गठन करेगा, ताकि वह उसे निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर सलाह दे सके:
>
> (क) विनियम 7 के अंतर्गत पेशेवरों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक;
>
> (ख) विनियम 32 के अंतर्गत विक्रय, जिसमें विक्रय का तरीका, बोली-पूर्व योग्यताएं, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा की राशि और विपणन रणनीति शामिल है: परंतु परामर्श समिति के गठन से पहले परिसमापक द्वारा लिए गए निर्णय(यों) को उसकी पहली बैठक में सूचना के लिए परामर्श समिति के समक्ष रखा जाएगा।
>
> xxxxx
>
> (5) संहिता और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परामर्श समिति में प्रतिनिधियों को उप-विनियम (1) के अंतर्गत परिसमापक को सलाह देने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक अभिलेखों और सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।
>
> xxxxx

(8) परिसमापक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (1) के अंतर्गत बनाई गई लेनदारों की समिति की सिफारिश को उसकी सूचना के लिए परामर्श समिति के समक्ष रखेगा।

(9) परामर्श समिति उपस्थित और मतदान करने वाले परामर्श समिति के प्रतिनिधियों के कम से कम छियासठ प्रतिशत मतों से परिसमापक को सलाह देगी।

(10) परामर्श समिति की सलाह परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होगी: परंतु जहां परिसमापक परामर्श समिति द्वारा दी गई सलाह से भिन्न कोई निर्णय लेता है, तो वह उसके कारणों को लिखित में अभिलिखित करेगा।

34.2 विनियम 31ए, जिसे 25 जुलाई, 2019 की अधिसूचना[48] के आधार पर भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के संशोधन पर डाला गया था, परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया के प्रारंभ की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर एक हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन करने के लिए आवश्यक करता है। हितधारकों की परामर्शदात्री समिति को विनियम 31 के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी-वार आधार पर हितधारकों की सूची से लिया जाना है। हितधारकों की परामर्शदात्री समिति के गठन का उद्देश्य पेशेवरों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक से संबंधित मामलों के साथ-साथ विनियम 32 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के विक्रय के संबंध में भी परिसमापक को सलाह देना है। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा ***आर.के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी***

48 सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047

बनाम एच.आर. कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य[49], में अभिनिर्धारित किया गया था कि हितधारकों की परामर्शदात्री समिति द्वारा दी गई सलाह परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होती है। विनियम में दिया गया सुरक्षा उपाय यह है कि यदि परिसमापक एक ऐसा निर्णय लेता है जो हितधारकों की परामर्शदात्री समिति द्वारा दी गई सलाह से भिन्न है, तो उसे ऐसा करने के कारणों को लिखित में अभिलिखित करना होगा और इसे अगली प्रगति प्रतिवेदन में उल्लेखित करना होगा। हम शीर्षक वाले मामले के निम्नलिखित कंडिका को उपयोगिता के लिए उद्धृत कर सकते हैं:

> "**55.** आई.बी.सी. और परिसमापन विनियमों के उपर्युक्त प्रावधानों के संयुक्त पठन पर, यह स्पष्ट है कि परिसमापक परिसमापन में कॉर्पोरेट ऋणी की अचल और चल संपत्ति को एक सार्वजनिक नीलामी या एक निजी अनुबंध के माध्यम से, या तो सामूहिक रूप से, या छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय करने के लिए अधिकृत है। विधि का मूल उद्देश्य परिसमापन में कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना और उन्हें सर्वोत्तम संभव मूल्य पर विक्रय करने के लिए आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य के लिए, आई.बी.सी. के प्रावधानों ने परिसमापक को विक्रय के एक तरीके के रूप में एक सार्वजनिक नीलामी या एक निजी अनुबंध में जाने के लिए सशक्त किया है। कृत प्रगति की प्रतिवेदन देने के अलावा, परिसमापक कॉर्पोरेट ऋणी के परिसमापन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त आदेशों और निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) को आवेदन भी कर सकता है। परिसमापक को उन हितधारकों से परामर्श करने की अनुमति दी जाती है जो विक्रय की

49 [2022] 12 एस.सी.आर. 667 : (2024) 4 एस.सी.सी. 166

आय के वितरण के हकदार हैं। हालांकि, धारा 35(2) आई.बी.सी. का परंतुक यह स्पष्ट करता है कि हितधारकों की राय परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होगी। परिसमापन विनियमों का विनियम 8 धारा 35(2) आई.बी.सी. में निर्दिष्ट हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को संदर्भित करता है और कहता है कि वे परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिसमापक को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे। विनियम 31-ए ने एक हितधारकों की परामर्शदात्री समिति शुरू की है जो कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों के विक्रय के संबंध में परिसमापक को सलाह दे सकती है और उसे ऐसी सलाह प्रदान करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यद्यपि दी गई सलाह परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन उसे ऐसी सलाह के विरुद्ध कार्य करने के लिए कारण लिखित में देना होगा।"

34.3 28 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना के आधार पर, विनियम 31ए के अंत में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया जो यह स्पष्ट करता है कि हितधारकों की परामर्शदात्री समिति के गठन की आवश्यकता केवल उन परिसमापन प्रक्रियाओं पर लागू होगी जो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के प्रारंभ की तिथि पर/उसके बाद शुरू होने वाली थीं। वर्तमान मामले में, कंपनी के संबंध में परिसमापन प्रक्रिया 17 जुलाई, 2019 को शुरू हो गई थी और इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा किया गया यह निवेदन कि परिसमापक ने हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का गठन न करके भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 31ए का उल्लंघन किया है, बलहीन है। इसके अलावा भी, अपीलकर्ता को इस आधार पर कोई शिकायत नहीं हो सकती क्योंकि अभिलेख से पता चलता है कि परिसमापक ने 8

नवंबर 2019 के अपने पत्र में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रतिवेदनों पर अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई लिखित आपत्ति का जवाब 15 नवंबर, 2019 को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि न तो उसने और न ही कंपनी के अन्य पूर्व-निदेशकों ने सी.ओ.सी. की बैठक बुलाने के लिए परिसमापक के सुझाव का जवाब दिया था। इसके बावजूद, न तो अपीलकर्ता और न ही कंपनी के अन्य पूर्व-निदेशकों ने उनमें से किसी व्यक्ति को हितधारकों की परामर्शदात्री समिति का हिस्सा बनने के लिए नामित करने के लिए कोई कदम उठाया। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि परिसमापक ने विनियम 31ए का उल्लंघन किया है, टिकाऊ नहीं है। न ही न्यायालय अपीलकर्ता के अनुरोध पर किए गए इस निवेदन की जांच करने के लिए झुकाव रखता है कि विनियम 31ए के साथ संलग्न किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में जैसा कि वह 25 जुलाई, 2019 से पहले था, ऊपर उल्लेखित उसके अपने आचरण के मद्देनजर, परिसमापक के लिए हितधारकों परामर्श समिति का गठन करना अनिवार्य था। इसके अलावा, ऐसी आपत्ति पहली बार उस चरण में उठाई गई थी जब अपीलकर्ता ने 25 सितंबर, 2020 को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष याद करने का आवेदन दायर किया था जिस समय तक संपूर्ण विक्रय लेन-देन पूरा हो चुका था।

35. <u>**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के उल्लंघन का आरोप और उसका प्रभाव**</u>

35.1 अपीलकर्ता ने परिसमापक द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के उल्लंघन के संबंध में गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। विनियम 33, जो परिसंपत्तियों के विक्रय के तरीके से संबंधित है, को पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। विनियम 33 के अंतर्गत अनुसूची । वह तरीका निर्धारित करती है जिसमें कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों को परिसमापक द्वारा विक्रय किया

जाना है। अनुसूची I को दो खंडों में उप-विभाजित किया गया है, पहला भाग नीलामी के माध्यम से परिसंपत्ति के विक्रय और जिस तरीके से परिसमापक द्वारा इस तरह के विक्रय का आयोजन किया जाएगा, से संबंधित है और दूसरा भाग निजी विक्रय से संबंधित है। वर्तमान चर्चा के उद्देश्यों के लिए अनुसूची I के प्रासंगिक खंड निम्नानुसार हैं:

"अनुसूची I

विक्रय का तरीका

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 33 के अंतर्गत)

1. नीलामी

(1) जहां किसी परिसंपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाना है, परिसमापक ऐसा इसमें निर्दिष्ट तरीके से करेगा।

xxxxx

(3) परिसमापक विक्रय के नियम और शर्तें तैयार करेगा, जिसमें आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा के साथ-साथ बोली-पूर्व योग्यताएं, यदि कोई हो, शामिल हैं।

xxxxx

(6) परिसमापक इच्छुक खरीदारों द्वारा उचित परिश्रम के संचालन के लिए आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा।

xxxxx

> **(12) नीलामी बंद होने पर, उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा:**
>
> **परंतु तीस दिनों के बाद किए गए भुगतानों पर 12% की दर से ब्याज लगेगा।**
>
> **परंतु यह और कि यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो विक्रय रद्द हो जाएगा।**
>
> **(13) पूरी राशि का भुगतान होने पर, विक्रय पूरा माना जाएगा, परिसमापक ऐसे परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए विक्रय प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख निष्पादित करेगा और परिसंपत्तियों को विक्रय की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से उसे सौंप दिया जाएगा।**
>
> (जोर दिया गया)

35.2 मूल रूप से, नियम 12 निम्नानुसार था:

> "(12) नीलामी बंद होने पर, उच्चतम बोलीदाता को उस तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जब उसे शेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पूरी राशि का भुगतान होने पर, विक्रय पूरा माना जाएगा, परिसमापक ऐसे परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने के लिए विक्रय प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख निष्पादित करेगा और परिसंपत्तियों को विक्रय की शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से उसे सौंप दिया जाएगा।"

25 जुलाई, 2019 की अधिसूचना[50] के माध्यम से, नियम 12 से दो नियम बनाए गए, अर्थात् नियम 12 और नियम 13 जिन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है।

35.3 अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता का निवेदन है कि उपर्युक्त अनुसूची I का नियम 12 अनिवार्य है और उक्त नियम में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करने पर विक्रय रद्द हो जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि नीलामी खरीदार के लिए शेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए उपलब्ध 90 दिन की अवधि 25 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई थी। नियम 12 का पहला परंतुक निर्धारित करता है कि यदि भुगतान 30 दिनों के बाद किया जाता है, तो सफल बोलीदाता को देय राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। नियम 12 का दूसरा परंतुक भुगतान के लिए बाहरी सीमा निर्धारित करता है और कहता है कि यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो विक्रय स्वतः रद्द माना जाएगा।

35.4 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क का परीक्षण करने के लिए कि अनुसूची I के नियम 12 में प्रयुक्त शब्द "करेगा" है न कि "कर सकता है" और इसलिए, नियम 12 में निर्धारित नियमों को अनिवार्य माना जाना चाहिए न कि निर्देशात्मक, हम उपयोगिता के लिए ***शरीफ-उद-दीन*** (उपर्युक्त) में दिए गए अवलोकनों का संदर्भ ले सकते हैं जहां एक अनिवार्य नियम और एक निर्देशात्मक नियम के बीच अंतर निम्न शब्दों में खींचा गया था:

> "**9. एक अनिवार्य नियम और एक निर्देशात्मक नियम के बीच अंतर यह है कि जबकि पहले वाले का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, बाद वाले के मामले में पर्याप्त अनुपालन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो सकता है जिसके संबंध में नियम अधिनियमित किया जाता है।** कुछ व्यापक प्रस्ताव जिन्हें

---

50 अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047

न्यायालयों के कई निर्णयों से निकाला जा सकता है जो यह निर्धारित करने में पालन किए जाने वाले निर्माण के नियमों के संबंध में हैं कि विधि का कोई प्रावधान निर्देशात्मक है या अनिवार्य, को इस प्रकार संक्षेप में बताया जा सकता है: **यह तथ्य कि विधि एक कर्तव्य निर्धारित करते समय शब्द "करेगा" का उपयोग करता है, इस प्रश्न पर निर्णायक नहीं है कि यह एक अनिवार्य या निर्देशात्मक प्रावधान है। विधान के सच्चे चरित्र का पता लगाने के लिए, न्यायालय को उस उद्देश्य का पता लगाना होगा जिसे प्रश्नगत विधि के प्रावधान को पूरा करना है और उसकी रूपरेखा और वह संदर्भ जिसमें इसे अधिनियमित किया गया है।** यदि विधि का उद्देश्य उसका पालन न करने से विफल हो जाना है, तो इसे अनिवार्य माना जाना चाहिए। लेकिन जब विधि का कोई प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित होता है और उस प्रावधान की अवहेलना में किए गए किसी भी कार्य को अमान्य करने से उन लोगों को गंभीर पूर्वाग्रह होता है जिनके लाभ के लिए इसे अधिनियमित किया जाता है और साथ ही जिनका कर्तव्य के निष्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ऐसे प्रावधान को एक निर्देशात्मक माना जाना चाहिए। हालांकि, जहां विधि का कोई प्रावधान यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक विशेष तरीके से एक निश्चित कार्य किया जाना है और यह एक अन्य प्रावधान के साथ जुड़ा हुआ है जो दूसरे व्यक्ति पर एक प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब ऐसा कार्य उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो पहले वाले को एक

अनिवार्य माना जाना चाहिए। **एक प्रक्रियात्मक नियम को साधारणतया अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए यदि उसके अनुसरण में किए गए कार्य में दोष को बाद के चरण में उपयुक्त सुधार करने की अनुमति देकर ठीक किया जा सकता है जब तक कि बाद में त्रुटि को ठीक करने की ऐसी अनुमति देकर कोई अन्य नियम का उल्लंघन न हो। जब भी कोई विधि यह निर्धारित करता है कि एक विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है और यह भी निर्धारित करता है कि उक्त आवश्यकता का पालन न करने पर एक विशिष्ट परिणाम होता है, तो यह मानना मुश्किल होगा कि आवश्यकता अनिवार्य नहीं है और निर्दिष्ट परिणाम का पालन नहीं होना चाहिए।"**

(जोर दिया गया)

35.5 ***<u>विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड</u>*** (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय को आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कर सकता है" और धारा 9(5)(ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "करेगा" की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, और यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"63. आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) के अर्थ और अभिप्राय को आई.बी.सी. की प्रकृति और रूपरेखा के संदर्भ में प्रावधान की पदावली से सुनिश्चित किया जाना है। इस न्यायालय को प्रावधान को निर्देशात्मक या विवेकाधीन मानने के प्रभाव पर विचार करना होगा।

64. साधारणतया शब्द "कर सकता है" निर्देशात्मक होता है। अभिव्यक्ति "स्वीकार कर सकता है" दाखिल करने का विवेकाधिकार

प्रदान करती है। इसके विपरीत, शब्द "करेगा" का उपयोग एक अनिवार्य आवश्यकता को मानता है। शब्द "करेगा" का उपयोग यह पूर्वानुमान पैदा करता है कि एक प्रावधान बाध्यकारी है। हालांकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रावधान के अनिवार्य होने के संबंध में प्रथम दृष्टया पूर्वानुमान को अन्य विचारों, जैसे कि अधिनियमन का दायरा और निर्माण से उत्पन्न होने वाले परिणामों द्वारा खंडित किया जा सकता है।

65. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक विधि की व्याख्या का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शब्दशः व्याख्या का नियम है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ***ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** [(2014) 2 एस.सी.सी. 1, कंडिका 14 : (2014) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 524] में अभिनिर्धारित किया गया है। यदि आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) की शाब्दिक व्याख्या की जाती है, तो प्रावधान को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) पर विवेकाधिकार प्रदान करने वाला माना जाना चाहिए।

xxxx

74. आई.बी.सी. की धारा 9 की उप-धारा (5) यह प्रावधान करती है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक परिचालन लेनदार के आवेदन की प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर आवेदन को दाखिल करेगा और निर्णय को परिचालन लेनदार और कॉर्पोरेट ऋणी को सूचित करेगा, बशर्ते कि धारा 9(5)(i) आई.बी.सी. के खंड (क) से (ङ) में निर्धारित शर्तें संतुष्ट हों। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एनसीएलटी) को धारा 9(5)

(ii) आई.बी.सी. के खंड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में परिचालन लेनदार के आवेदन को अस्वीकार करना चाहिए।

75. महत्वपूर्ण रूप से, विधानमंडल ने अपने विवेकाधिकार से आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) में एक वित्तीय लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट ऋणी के विरुद्ध शुरू किए गए सी.आई.आर.पी. के आवेदन के संबंध में शब्द "कर सकता है" का उपयोग किया है, लेकिन परिचालन लेनदार द्वारा सी.आई.आर.पी. की शुरुआत से संबंधित आई.बी.सी. की धारा 9(5) के अन्यथा लगभग समान प्रावधान में अभिव्यक्ति "करेगा" का उपयोग किया है।

76. यह तथ्य कि विधानमंडल ने आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) में "कर सकता है" का उपयोग किया लेकिन आई.बी.सी. की धारा 9(5)(ए) के अन्यथा लगभग समान प्रावधान में एक अलग शब्द, अर्थात् "करेगा" का उपयोग किया, यह दर्शाता है कि दोनों प्रावधानों में "कर सकता है" और "करेगा" का उद्देश्य एक अलग अर्थ देना है। यह स्पष्ट है कि विधानमंडल का उद्देश्य आई.बी.सी. की धारा 9(5)(ए) को अनिवार्य और आई.बी.सी. की धारा 7(5)(ए) को विवेकाधीन रखना था। आई.बी.सी. की धारा 9(2) के अंतर्गत सी.आई.आर.पी. शुरू करने के लिए एक परिचालन लेनदार के आवेदन को अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है यदि आवेदन सभी मामलों में पूर्ण है और आई.बी.सी. और उसके अंतर्गत नियमों और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में है, यदि अदत्त परिचालन ऋण का कोई भुगतान नहीं हुआ है, यदि परिचालन लेनदार द्वारा कॉर्पोरेट ऋणी को भुगतान के लिए

> अधिसूचनाएं या चालान वितरित किए गए हैं और परिचालन लेनदार को विवाद की कोई अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। आई.बी.सी. एक परिचालन लेनदार के बकाए का भुगतान करने में बेईमानी या जानबूझकर विफलता को स्वीकार नहीं करता है।"
>
> (जोर दिया गया)

35.6 ***सी.एन. परमसिवन*** (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993[51] में प्रयुक्त वाक्यांश "जहां तक संभव हो" जो ऋण वसूली अधिनियम के अंतर्गत देय राशि पर आयकर अधिनियम के कुछ प्रावधानों को परिवर्तन के साथ लागू करने की परिकल्पना करता है न कि आयकर अधिनियम पर, आयकर नियमों के नियम 57 को संदर्भित करता है जो एक खरीदार द्वारा एक अचल संपत्ति की खरीद राशि का 25 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य करता है और जमा की ऐसी व्यतिक्रम में पुनर्विक्रय के परिणाम की परिकल्पना करता है, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

> "27. ऋण वसूली अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों या आयकर अधिनियम के अंतर्गत नियमों की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि ऋण वसूली अधिनियम की धारा 29 या आयकर नियमों के नियम 57 के अंतर्गत वसूली अधिकारी को ऊपर बताए गए विवेकाधिकार से व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करने का इरादा था जो इस प्रकार है:
>
> > "**57. खरीदार द्वारा जमा और व्यतिक्रम होने पर पुनर्विक्रय।**—(1) अचल संपत्ति के प्रत्येक विक्रय पर, वह

---

51 संक्षेप में 'ऋण वसूली अधिनियम, 1993'

व्यक्ति जिसे खरीदार घोषित किया जाता है, ऐसी घोषणा के तुरंत बाद, अपनी खरीद राशि का पच्चीस प्रतिशत विक्रय का संचालन करने वाले अधिकारी को जमा करेगा; और, ऐसी जमा की व्यतिक्रम में, संपत्ति को तुरंत पुनर्विक्रय किया जाएगा।

(2) देय खरीद राशि की पूरी राशि खरीदार द्वारा संपत्ति के विक्रय की तिथि से पंद्रहवें दिन या उससे पहले कर वसूली अधिकारी को भुगतान की जाएगी।"

उपरोक्त के सरल पठन से यह स्पष्ट है कि प्रावधान अनिवार्य प्रकृति का है। शब्द "करेगा" का उपयोग राशि जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता का शाब्दिक और संदर्भगत रूप से संकेतक है।

28. आयकर नियमों के नियम 57 और 58 के प्रावधानों के बराबर सी.पी.सी. के आदेश 21 के नियम 84, 85 और 86 हैं जो भाषा, सीमा और प्रभाव में समान हैं और ***मनीलाल मोहनलाल शाह बनाम सरदार सैयद अहमद सैयद महमद*** [ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 349] में इस न्यायालय द्वारा निम्न शब्दों में अनिवार्य अभिनिर्धारित किए गए हैं: (ए.आई.आर. पृ. 351-52, कंडिका 8-9 एवं 11)

"8. डिक्री-धारक के अलावा खरीदार द्वारा 25 प्रतिशत जमा करने से संबंधित प्रावधान अनिवार्य है जैसा कि नियम की भाषा से पता चलता है। खरीद राशि की पूरी राशि विक्रय की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान

की जानी चाहिए लेकिन डिक्री-धारक सेट-ऑफ का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि, भुगतान के लिए प्रावधान अनिवार्य है ... (नियम 85)। यदि पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय के पास जमा को जब्त करने का विवेकाधिकार है, और वहां विवेकाधिकार समाप्त हो जाता है लेकिन संपत्ति को पुनर्विक्रय करने का न्यायालय का दायित्व अनिवार्य है। भुगतान न करने का एक और परिणाम यह है कि व्यतिक्रमकर्ता खरीदार संपत्ति पर सभी दावा खो देता है ... (नियम 86)।

9. ... ये प्रावधान कोई संदेह नहीं छोड़ते कि जब तक अनिवार्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक के रूप में जमा और भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक व्यतिक्रमकर्ता खरीदार के पक्ष में विधि की नज़र में कोई विक्रय नहीं होता है और उसे संपत्ति का मालिक होने और कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

***

11. **प्रासंगिक नियमों की भाषा और इस विचाराधीन से संबंधित न्यायिक निर्णयों की जांच करने के बाद हम इस राय के हैं कि नियमों के प्रावधान जिनमें किसी व्यक्ति को खरीदार घोषित किए जाने पर तुरंत खरीद राशि का 25% जमा करने और विक्रय के 15 दिनों के भीतर शेष राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है, अनिवार्य हैं**

और इन प्रावधानों का पालन न करने पर कोई विक्रय नहीं होता है। नियम यह परिकल्पना नहीं करते कि पहले 25% खरीद राशि जमा किए बिना और 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा किए बिना खरीदार के पक्ष में कोई विक्रय हो सकता है। जब इन नियमों की परिकल्पना में कोई विक्रय नहीं होता है, तो विक्रय के संचालन में तात्विक अनियमितता का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। **व्यतिक्रमकर्ता खरीदार के हिस्से पर कीमत का भुगतान न करना विक्रय कार्यवाही को एक पूरी तरह शून्य बता देता है।** यह तथ्य कि व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय संपत्ति को पुनर्विक्रय करने के लिए बाध्य है, यह दर्शाता है कि विक्रय के लिए पिछली कार्यवाही पूरी तरह से मिटा दी जाती है जैसे कि वे विधि की नज़र में मौजूद ही न हों। इसलिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि वर्तमान मामले की परिस्थितियों में कोई विक्रय नहीं हुआ और खरीदारों ने कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया।"

29.***मनीलाल मोहनलाल मामले*** [ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 349] पर अवलंबन करते हुए आदेश 21 के नियम 84, 85 और 86 को भी **सरदारा सिंह बनाम सरदारा सिंह** में अनिवार्य अभिनिर्धारित किया गया था। इसी तरह **बलराम बनाम इलम सिंह** में इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

"7. ... यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था [***मनीलाल मोहनलाल*** में [ए.आई.आर. 1954 एस.सी.

349]] कि नियम 85 अनिवार्य होने के कारण, इसका पालन न करने पर विक्रय कार्यवाही एक पूर्ण शून्यता बन जाती है जिसके लिए निष्पादन न्यायालय को नियम 86 के अंतर्गत आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है और जब तक निर्णय ऋणी पुनर्विक्रय से पहले भुगतान करके डिक्री को संतुष्ट नहीं कर देता, तब तक संपत्ति को पुनर्विक्रय किया जाना चाहिए। इस तर्क को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था कि निष्पादन न्यायालय के पास अपनी गलती के आधार पर समय बढ़ाने की अंतर्निहित शक्ति है।"

30. हम ***राव महमूद अहमद खान बनाम रणबीर सिंह***[1995 सप्लीमेंट (4) एस.सी.सी. 275], ***गंगाबाई गोपालदास मोहता बनाम फूलचंद***[(1997) 10 एस.सी.सी. 387], ***हिमाद्रि कोक एंड पेट्रो लिमिटेड बनाम सोनेको डेवलपर्स (पी) लिमिटेड***[(2005) 12 एस.सी.सी. 364] और **शिल्पा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बनाम नेशनल कोऑप. बैंक लिमिटेड** [(2007) 12 एस.सी.सी. 165] में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ ले सकते हैं, जिनमें भी यही स्थिति ली गई है।

31. उपरोक्त के प्रकाश में हम यह मानने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि आयकर नियमों के नियम 57 और 58 प्रकृति में अनिवार्य के अलावा कुछ भी हैं, ताकि उन नियमों के अंतर्गत आवश्यकताओं का उल्लंघन विधि की नज़र में नीलामी को अमान्य बना देगा।"

(जोर दिया गया)

35.7 ***<u>बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति</u>***[52] में, माध्यस्थम् और सुलह अधिधियम,1996 की धारा 34(5) का संदर्भ देते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी भी परिणाम का न होना यह सूचित करता है कि ऐसे प्रावधान की व्याख्या निर्देशात्मक के रूप में की जानी चाहिए न कि अनिवार्य के रूप में। शीर्षक वाले निर्णय में किए गए अवलोकन निम्नलिखित हैं:

> "19. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि धारा 34(5) उसका अनुपालन न करने को माफ करने की न्यायालय की शक्ति से संबंधित नहीं है। यह ध्यान देना अनिवार्य है कि यह प्रावधान प्रक्रियात्मक है, जिसके पीछे का उद्देश्य धारा 34 के अंतर्गत आवेदन को तेजी से निपटाना है। किसी को कैलाश [***कैलाश बनाम नान्हकू***, (2005) 4 एस.सी.सी. 480], में समाहित बुद्धिमान अवलोकन को याद रखना चाहिए, जहां ऐसे प्रावधान का उद्देश्य केवल सुनवाई में तेजी लाना है न कि उसे रोकना। प्रक्रिया के सभी नियम न्याय के सेवक होते हैं और यदि, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रावधान की व्याख्या निर्देशात्मक के रूप में की जानी चाहिए, तो ऐसा ही हो।
>
> xxxx
>
> **21. धारा 80, यद्यपि एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, को अनिवार्य अभिनिर्धारित किया गया है क्योंकि यह सार्वजनिक हित में परिकल्पित है, इसके पीछे का सार्वजनिक उद्देश्य सरकार को जांच**

52 [2018] 7 एस.सी.आर. 1147 : (2018) 9 एस.सी.सी. 472

करने और तुरंत कार्रवाई करने का अवसर देकर न्याय को आगे बढ़ाना है ताकि उस व्यक्ति को जिसने अधिसूचना जारी की है उसे काफी व्यय और विलंब वाले एक वाद को संस्थित करने के लिए मजबूर किए बिना एक उचित दावे का निपटान किया जा सके। इसकी तुलना धारा 34(5) से की जानी चाहिए, जो भी एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, जिसके उल्लंघन से कोई परिणाम नहीं होता है। ऐसे प्रावधान को अनिवार्य के रूप में मानने से न्याय की प्रगति विफल हो जाएगी क्योंकि यह धारा 34(5) की आवश्यकताओं का पालन किए बिना दायर किए गए आवेदन को खारिज करने का परिणाम प्रदान करेगा, इस प्रकार निष्पक्षता के तत्व को दबाकर न्याय की प्रक्रिया को रोक देगा।"

(जोर दिया गया)

35.8 उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब विधि यह निर्धारित करता है कि किसी पक्षकार द्वारा एक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक विशेष तरीके से एक निश्चित कार्य किया जाना है, तो इसे अनिवार्य प्रकृति का माना जाना चाहिए, विशेष रूप से जब विधि निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता के लिए एक परिणाम निर्धारित करता है।

35.9 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची । के विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त शब्द "कर सकता है" और "करेगा" यह दर्शाते हैं कि विधानमंडल का उद्देश्य कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों के विक्रय के लिए परिसमापक द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के आधार पर उक्त शब्दों को अलग-अलग अर्थ देना था। अनुसूची । के अंतर्गत नियमों का अध्ययन यह दर्शाता है कि परिसमापक को केवल नीलामी के माध्यम से किसी परिसंपत्ति के विक्रय से संबंधित विशेष परिस्थितियों में ही

कुछ लचीलापन दिया गया है। जहां भी अंतर्निहित इरादा लेनदारों के सर्वोत्तम हित में परिसंपत्तियों के विक्रय से अधिकतम वसूली करना है, परिसमापक को परिसंपत्ति को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन अन्यथा नहीं। किसी परिसंपत्ति के विक्रय की दिशा में बाकी के कदमों के लिए, विधि का आदेश सकारात्मक है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई विशेष कदम निर्धारित किया गया है, तो परिसमापक द्वारा उसे अनुसूची । के अंतर्गत नियमों में निर्धारित तरीके से आवश्यक रूप से उठाया जाना चाहिए। उसे विलंब को माफ करने का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है।

35.10 जब नियम 12 को तोड़ा जाता है, तो यह बताता है कि (क) एक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए कहा जाएगा; (ख) ऐसी मांग से 30 दिनों के बाद किए गए किसी भी भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा; (ग) यदि भुगतान 90 दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो विक्रय रद्द हो जाएगा। नियम 12 में शब्द 'करेगा' का उपयोग तीन बार किया गया है। अगले नियम 13 पर आते हैं, जो यह बताता है कि (क) पूरी राशि के भुगतान पर विक्रय पूरा माना जाएगा; (ख) परिसमापक ऐसी परिसंपत्ति(यों) को हस्तांतरित करने के लिए एक विक्रय प्रमाणपत्र/विक्रय विलेख निष्पादित करेगा; (ग) परिसंपत्ति(यों) को विक्रय की शर्तों में निर्धारित तरीके से सौंपा जाएगा। नियम 13 में भी शब्द "करेगा" का उपयोग तीन बार किया गया है। यह ध्यान दिया जाता है कि नियम 4ए, 4बी, 8 और नियम 11ए के अलावा जहां शब्द "कर सकता है" का उपयोग किया गया है और यह लेनदारों के सर्वोत्तम हित में परिसंपत्तियों के विक्रय से अधिकतम वसूली के उद्देश्य से आरक्षित मूल्य को एक से अधिक बार कम करने और नीलामी के कई दौर आयोजित करने का विवेकाधिकार परिसमापक को प्रदान करता है, शेष नियमों में, शब्द "करेगा" प्रमुख रूप

से और बिना किसी अपवाद के विशेषता रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां भी अनुसूची । के अंतर्गत नियमों में शब्द "करेगा" का उपयोग किया गया है, वह अनिवार्य प्रकृति प्राप्त करता है। यदि उसका उल्लंघन कोई गंभीर या हानिकारक परिणाम नहीं देता है, तो नियम को अभी भी शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक माना जा सकता है। बहुत कुछ नियम के अर्थ और शाब्दिक संदर्भ पर निर्भर करेगा।

35.11 ऊपर किए गए विश्लेषण के मद्देनजर, नियम 12 को अनिवार्य प्रकृति का माना जाना चाहिए क्योंकि यह 90 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान न होने की स्थिति में एक परिणाम की परिकल्पना करता है, जो परिसमापक द्वारा विक्रय को रद्द करना है। उस हद तक, अपीलकर्ता की ओर से किए गए निवेदन में सार है कि चूंकि नियम 12 के अंतर्गत दूसरा परंतुक 90 दिनों के भीतर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान न होने पर नीलामी को रद्द करने के परिणाम की परिकल्पना करता है, इसलिए परिसमापक को समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं था।

35.12 परिसमापक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली 2016 की अनुसूची 1 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा निर्देशात्मक है न कि अनिवार्य प्रकृति की, ***पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य***[53] में दिए गए निर्णय पर अवलंबन करना गलत है। उक्त निर्णय यह अभिनिर्धारित करता है कि आई.बी.सी. के अंतर्गत परिचालन लेनदारों के लिए उपलब्ध समय-सीमा निर्देशात्मक है न कि अनिवार्य क्योंकि यदि अवधि नहीं बढ़ाई जाती है या विस्तार समाप्त होने के बाद कोई परिणाम प्रदान नहीं किया जाता है और यह इसी संदर्भ में है कि निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

53 [2019] 10 एस.सी.आर. 381 : (2019) 8 एस.सी.सी. 416

"58. यह न्यायालय, ***सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी[सुरेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी बनाम जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लि., (2017) 16 एस.सी.सी. 143 : (2018) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 730]***, में परिचालन लेनदारों के संबंध में प्रदान की गई समय-सीमा से निपटते समय, अभिनिर्धारित किया कि संहिता की धारा 7(5), 9(5) और 10(4) के परंतुकों में समाहित समय-सीमा सभी निर्देशात्मक है न कि अनिवार्य। यह स्पष्ट कारण से है कि यदि इस प्रकार उल्लेखित अवधियां अधिक हो जाती हैं, तो कोई परिणाम प्रदान नहीं किया जाता है। हालांकि यह निर्णय धारा 7(4) द्वारा प्रदान की गई 14 दिन की अवधि के संदर्भ में नहीं है, हम इस विचार के हैं कि यह निर्णय पूरी तरह से लागू होगा ताकि धारा 7(4) के अंतर्गत निर्णय के लिए एनसीएलटी को दी गई 14 दिन की अवधि निर्देशात्मक होगी। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि संहिता की धारा 64(1) के अंतर्गत, एनसीएलटी के अध्यक्ष या एनसीएलएटी के अध्यक्ष विधि द्वारा उल्लिखित अवधि से अधिक होने के लिए एनसीएलटी या एनसीएलएटी के कारणों को ध्यान में रखते हुए, 14 दिन की अवधि को 10 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम ध्यान दिलाते हैं कि यह प्रावधान भी निर्देशात्मक है, क्योंकि यदि अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, या विस्तार समाप्त होने के बाद भी कोई परिणाम प्रदान नहीं किया जाता है। यह भी इस अच्छे कारण से है कि न्यायालय का कार्य उसके सामने मुकदमेबाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुर्भाग्यवश, एनसीएलटी और एनसीएलएटी दोनों के पास पर्याप्त सदस्य नहीं हैं

> जो उनके सामने आने वाले आवेदन और अपीलों की बाढ़ से निपट सकें। जो आवेदक उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उनके द्वारा कतार में लिया गया समय, उनकी कोई गलती न होने के कारण, उनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

35.13 न ही परिसमापक के विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा संदर्भित अधिकरण के निर्णयों को ***स्टैंडर्ड सरफा केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड*** (उपर्युक्त) और ***प्रकाश चंद्र कपूर*** (उपर्युक्त) को उत्तरदाताओं के पक्ष में पढ़ा जा सकता है। एक व्यापक अवलोकन कि विनियम 47 में निर्धारित सभी समय-सीमा निर्देशात्मक है, अस्वीकार्य है। यह तय करने के लिए कि क्या उक्त नियम में निर्देशात्मक पहलू है या वह अनिवार्य प्रकृति का है, विशिष्ट नियम का पालन न करने के परिणामों की व्यक्तिगत रूप से जांच करनी होगी।

35.14 वर्तमान मामले में, अभिलेखों से पता चलता है कि जब नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय के विस्तार चाहते हुए परिसमापक से संपर्क किया। परिसमापक ने ऐसा करने में अपनी अक्षमता सही ढंग से व्यक्त की और संकेत दिया कि ऐसी शक्ति केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकारी में निहित है। उपर्युक्त जवाब प्राप्त होने पर, नीलामी खरीदार ने भुगतान करने के लिए समय का विस्तार मांगने हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए कदम उठाए। यह अभिलेख का विचाराधीन है कि उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 5 मई, 2020 को अनुमति दी गई और नीलामी खरीदार को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाने पर शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए समय दिया गया। उपर्युक्त आदेश दिनांकित 5 मई, 2020, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा एन.सी.एल.टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया था जो निम्नानुसार है:

"एन.सी.एल.टी. नियम, 2016 का नियम 11

अंतर्निहित शक्तियाँ - इन नियमों में कुछ भी न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश देने के लिए अधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।"

35.15 उपर्युक्त नियम को अकेले नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि आई.बी.सी. की धारा 35 के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए जो परिसमापक की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है और बताता है कि परिसमापक के पास उप-धारा 1 के खंड (क) से (ओ) में विनिर्दिष्ट शक्तियां और कर्तव्य होंगे जिसमें खंड (च) के अनुसार सार्वजनिक नीलामी/ निजी विक्रय द्वारा परिसमापन में कॉर्पोरेट ऋणी की एक अचल/ चल संपत्ति को एन.सी.एल.टी. के निर्देशों के अधीन विक्रय करने की शक्ति शामिल है। विशेष रूप से, ***अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड***[54] में यह अवलोकन किया गया है कि "परिसमापक कई कार्यों का प्रयोग करता है जो प्रकृति और चरित्र में अर्ध-न्यायिक होते हैं। धारा 35(1) स्वयं घोषित करती है कि परिसमापक को सौंपी गई शक्तियां और कर्तव्य "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन" हैं। दूसरे शब्दों में, परिसमापक ऐसे कार्यों का प्रयोग करता है जो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए एन.सी.एल.टी. के अधिकार क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।..."

35.16 वर्तमान मामले के तथ्यों में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने दिखाए गए पर्याप्त कारण पर, अर्थात्, कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर, शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय का विस्तार करने हेतु आई.बी.सी. की धारा 35 को एन.सी.एल.टी. नियम, 2016 के नियम 11 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के साथ मिलाकर वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया। न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने

54 [2021] 3 एस.सी.आर. 114 : (2021) 7 एस.सी.सी. 474 (कंडिका 81 देखें)

के लिए उपर्युक्त असाधारण परिस्थितियों में दी गई इस छूट को गलत नहीं माना जा सकता।

36. **नीलामी की गई संपत्ति के विक्रय पर आयकर प्राधिकारियों के कुर्की आदेश का प्रभाव**

36.1 सभी बातें समान होने पर, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि नीलामी खरीदार को शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय का विस्तार देने के लिए पर्याप्त कारण था, जो इस न्यायालय द्वारा *स्वतः संज्ञान* प्रेरित विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में पारित आदेशों के अनुसार भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 के विनियम 47ए के प्रावधानों के साथ मिलाकर था, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऊपर व्यक्त किए गए विचार के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी विधि में पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर समय बढ़ाने के लिए सशक्त था, मामले को वहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन इस मामले में कुछ और भी कहा जाना बाकी है जो नीलामी की गई संपत्ति के संबंध में आयकर प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कुर्की आदेश के महत्व और उसके प्रभाव के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों के इर्द-गिर्द घूमता है।

36.2 अपीलकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने जोर देकर तर्क दिया है कि कुर्की आदेश का उपयोग नीलामी खरीदार द्वारा शेष विक्रय प्रतिफल विलंब से जमा करने के बहाने के रूप में नहीं किया जा सकता। विक्रय की अधिसूचना के नियम और शर्तें, जैसा कि इस निर्णय में उद्धृत किया गया है, यह दर्शाते हैं कि परिसमापक ने घोषित किया था कि विचाराधीन संपत्ति की ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही थी। यह भी स्पष्ट किया गया था कि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए, विचाराधीन संपत्ति का निरीक्षण करना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए।

36.3 यह तथ्य कि नीलामी खरीदार विचाराधीन संपत्ति के संबंध में आयकर कुर्की आदेश से अवगत था, परिसमापक के साथ किए गए पत्राचार से पुष्टि होता है, जो अभिलेखों का एक हिस्सा है। नीलामी खरीदार द्वारा कुछ प्रश्नों के उठाए जाने पर, परिसमापक ने 9 दिसंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से जवाब दिया और कहा कि:

> "यदि संपत्ति आई.बी.सी. के तहत विक्रय की जाती है, तो आयकर का कोई प्राथमिकता दावा नहीं होगा और संपत्ति को एन.सी.एल.टी. आदेश के साथ पंजीकृत किया जा सकता है, इसके अलावा आयकर बकाया बहुत कम है इसलिए इसका भुगतान भी बिक्री से प्राप्त किया जा सकता है और कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती।"

नीलामी खरीदार द्वारा परिसमापक को संबोधित 17 दिसंबर, 2019 के एक बाद के पत्र में, जो नीलामी निर्धारित तिथि से काफी पहले था, उठाए गए अन्य मुद्दों के बीच, परिसमापक से किए गए अनुरोधों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि विचाराधीन संपत्ति पर आयकर कुर्की/ निषेधाज्ञा आदेश को आयकर विभाग द्वारा हटा दिया जाए। उपर्युक्त पत्र के अपने जवाब दिनांकित 19 दिसंबर, 2019 में, परिसमापक ने नीलामी खरीदार को सूचित किया था कि:

> "3. जहां तक आयकर कुर्की/ निषेधाज्ञा आदेश का संबंध है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आयकर ने पहले ही मेरे समक्ष दावा दायर कर दिया है और इसका भुगतान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत प्रदान की गई प्राथमिकता के क्रम में किया जाएगा और सफल बोली पर संपत्ति का पंजीकरण इससे कोई प्रासंगिकता नहीं रखता। एस.आर.ओ. से किसी भी आपत्ति की स्थिति में, उसे अधिकरण के समक्ष लाया जाएगा और पंजीकरण के

साथ आगे बढ़ने के लिए परिसमापक द्वारा उपयुक्त आदेश प्राप्त किया जाएगा।"

36.4 परिसमापक द्वारा नीलामी खरीदार को दिए गए दो स्पष्टीकरणों से यह देखा जा सकता है कि सफल बोलीदाता के पक्ष में विचाराधीन संपत्ति का पंजीकरण आयकर कुर्की आदेश से नहीं जुड़ा जाना था क्योंकि आयकर विभाग ने पहले ही परिसमापक के समक्ष एक दावा दायर कर दिया था और आई.बी.सी. के तहत निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में विभाग को भुगतान जारी किया जाना था। इसके बावजूद, नीलामी खरीदार आगे नहीं बढ़ा।

36.5 विक्रय के लिए अधिसूचना और बोली प्रक्रिया शुरू होने से काफी पहले नीलामी खरीदार को दिए गए जवाबों के मद्देनजर, हम इस सुविचारित राय के हैं कि इच्छुक बोलीदाता के रूप में यह नीलामी खरीदार के लिए था कि वह अपने स्तर पर उचित परिश्रम करे, विचाराधीन संपत्ति से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करे जिसमें संपत्ति की स्थिति और उससे जुड़ी देनदारियां शामिल थीं, सभी नुकसान और फायदे को तौले और उसके बाद ही नीलामी प्रक्रिया में भाग ले। अपनी आँखें खुली रखकर ई-नीलामी में भाग लेने के बाद, नीलामी खरीदार को यह कहने के लिए नहीं सुना जा सकता कि शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान आयकर विभाग द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटाने से जुड़ा हुआ था जब वह शुरू से जानता था कि नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर आयोजित की जा रही थी।

36.6 इस निवेदन को मजबूत करने के लिए कि आयकर अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंध के कारण विक्रय लेन-देन पूरा नहीं हो सका था, नीलामी खरीदार के विद्वान अधिवक्ता ने आयकर अधिनियम की धारा 222 और 281 को आयकर अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग III के नियम 48 के साथ मिलाकर संदर्भित किया है। आयकर अधिनियम की धारा 222 कर वसूली अधिकारी को एक निर्धारिती से देय बकाया की

राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करने और उसके बाद निर्धारिती की चल/ अचल संपत्तियों को कुर्क करके और विक्रय करके उक्त बकाया वसूली के लिए आगे बढ़ने के लिए सशक्त करती है। आयकर अधिनियम की धारा 281 घोषित करती है कि यदि कोई निर्धारिती अपनी किसी भी परिसंपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या कब्जा छोड़ देता है, तो ऐसे प्रभार/ हस्तांतरण को निर्धारिती द्वारा देय कर के संबंध में एक दावे के विरुद्ध शून्य माना जाएगा। हालांकि, धारा 281 का दूसरा परंतुक स्पष्ट करता है कि यदि ऐसा प्रभार/हस्तांतरण निर्धारण अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाता है, तो वह शून्य नहीं होगा। जहां तक आयकर अधिनियम की अनुसूची 2 के भाग III के तहत आने वाले नियम 48 का संबंध है, यह व्यतिक्रमकर्ता की एक अचल संपत्ति की कुर्की की परिकल्पना करता है, व्यतिक्रमकर्ता को संपत्ति को हस्तांतरित/ प्रभारित करने से रोक देता है और अन्य सभी व्यक्तियों को ऐसे हस्तांतरण/ प्रभार से लाभ लेने से रोकता है।

36.7 अभिलेखों से सामने आई घटनाओं का क्रम यह प्रकट करता है कि आयकर विभाग ने पहले ही परिसमापक के समक्ष एक दावा दायर कर दिया था जिसने बदले में विचाराधीन संपत्ति से संबंधित उपयुक्त निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष याचिका दी थी जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित कुर्की आदेश के तहत थी। उक्त आवेदन को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 10 फरवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से निपटाया गया था, जिसमें, कुर्की आदेश को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे जो उन शर्तों के अधीन थे जो एक एस्क्रो खाते में विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं जहां विक्रय प्रतिफल परिसमापक द्वारा जमा किया जाएगा। खुले न्यायालय में पारित किए गए उक्त आदेश को परिसमापक द्वारा नीलामी खरीदार को यथोचित रूप से सूचित किया गया था, हालांकि बाद वाले का रुख यह है कि दिनांकित 10 फरवरी, 2020 को पारित उक्त आदेश की एक भौतिक प्रतिलिपि उसे बहुत बाद में, मई, 2020

के महीने में प्राप्त हुई। एस्क्रो खाता 3 अगस्त, 2020 को बनाया गया था और ₹2,44,01,603/- (दो करोड़ चौवालीस लाख एक हजार छह सौ तीन रुपये मात्र) की पूरी कर बकाया राशि 24 अगस्त, 2020 को एस्क्रो खाते[55] में जमा की गई थी, हालांकि आयकर विभाग ने कुर्की आदेश को तीन दिन बाद, 27 अगस्त, 2020 को हटा दिया। यह उसी तिथि को त्रिची में उप-पंजीयक के कार्यालय को यथोचित रूप से सूचित किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 281 के दूसरे परंतुक ने नीलामी खरीदार को विचाराधीन संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए पूर्व अनुमति के लिए निर्धारण अधिकारी से संपर्क करने का एक रास्ता प्रदान किया था। लेकिन उस विकल्प का प्रयोग तब किया गया जब परिसमापक ने उपयुक्त अनुमति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन किया जो नीलामी खरीदार को सूचना के साथ 10 फरवरी, 2020 को प्रदान किया गया था।

36.8 नीलामी खरीदार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची I के नियम 13 को नियम 12 के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए और केवल पूरी राशि के भुगतान पर ही, विक्रय लेन-देन को सभी मामलों में पूरा माना जा सकता था। चूंकि कुर्की आदेश हटाए जाने तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा सका, इसलिए परिसमापक नीलामी खरीदार के पक्ष में विचाराधीन संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए विक्रय प्रमाणपत्र/ विक्रय विलेख निष्पादित नहीं कर सका होगा।

36.9 हमें यह कहने में संकोच है कि ऐसी धारणा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। नियम 12 नियम 13 से आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। दोनों नियम अलग-अलग स्थितियों को समाहित करते हैं। नियम 12 का पहला परंतुक सफल बोलीदाता को तीस दिनों के बाद भी शेष विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने की छूट देता है, बशर्ते कि वह 12% की दर

55 एस्क्रो खाता सं. 50200050623451

से ब्याज का भुगतान करे। हालांकि, नियम 12 का दूसरा परंतुक असंदिग्ध है और घोषित करता है कि यदि भुगतान 90 दिनों की बाहरी सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो विक्रय स्वयं रद्द माना जाएगा। नियम 12 में परिकल्पित कदमों के पूरा होने पर ही नियम 13 आ सकता है। नियम 13 का संदर्भ जो अभिव्यक्ति *"पूरी राशि के भुगतान पर"* के साथ शुरू होता है, स्वाभाविक रूप से नियम 12 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरी राशि के भुगतान का मतलब समझा जाएगा। हमने पहले ही नियम 12 को अनिवार्य प्रकृति का अभिनिर्धारित किया है क्योंकि समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर इसके परिणाम जुड़े हुए हैं। हालांकि, इसके विपरीत, नियम 13 में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं बताया गया है कि इसे अनिवार्य माना जाए। उक्त नियम विक्रय को पूरा करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है और इसे निर्देशात्मक माना जाना चाहिए क्योंकि विक्रय प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्यों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक कदम निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए हम उत्तरदाताओं द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि नियम 12 में परिकल्पित कोई भी गतिविधि तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक कि आयकर प्राधिकारियों द्वारा पारित कुर्की आदेश को हटा नहीं लिया जाता हो या उस कारण से परिसमापक नियम 13 के तहत विक्रय को पूरा करने की स्थिति में नहीं था।

36.10 किसी भी हालत में, परिसमापक ने उपयुक्त अनुमति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए समय पर कदम उठाए थे जो 10 फरवरी, 2020 को, अर्थात् देशव्यापी लॉकडाउन घोषित होने से लगभग डेढ़ महीने पहले, प्राप्त की गई थी। इसके अलावा, नीलामी खरीदार इस तथ्य से भली-भांति अवगत था कि पूरी कर बकाया राशि ₹2,44,01,603/- (दो करोड़ चौवालीस लाख एक हजार छह सौ तीन रुपये मात्र) थी, जिसका भुगतान उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि ₹2,95,59,638/- (दो करोड़ पचानवे लाख उनसठ हजार छह सौ अड़तीस रुपये मात्र) से आसानी से किया जा

सकता था, फिर भी कुछ अधिशेष निधि बचती। परिसमापक ने नीलामी खरीदार को उक्त स्थिति और आयकर विभाग के दावे को दी जाने वाली प्राथमिकता के क्रम से अवगत कराने के लिए भी कदम उठाए थे। फिर भी नीलामी खरीदार ने शेष विक्रय प्रतिफल जमा नहीं किया। उपरोक्त के मद्देनजर, नीलामी खरीदार द्वारा लिया गया यह बहाना कि आयकर कुर्की आदेश विक्रय को पूरा करने में एक गंभीर और अदम्य बाधा था और परिसमापक द्वारा विचाराधीन संपत्ति को उसके पक्ष में वैध रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, बल्कि कमजोर है और विश्वसनीय नहीं है।

36.11 नीलामी खरीदार की चिंता को न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा 10 फरवरी, 2020 को एक आदेश पारित करके, कुर्की आदेश को हटाकर पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया था। इस आदेश को परिसमापक द्वारा नीलामी खरीदार को समय पर सूचित किया गया था। उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त न होना मात्र नीलामी खरीदार के लिए पूरी शेष विक्रय प्रतिफल को जमा करने में विलंब करने का आधार नहीं हो सकता। उस समय कोविड-19 का खतरा कहीं भी क्षितिज पर नहीं था। यह केवल मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में फैला। यदि नीलामी खरीदार गंभीर होता, तो वह ₹26,60,36,677/- (छब्बीस करोड़ साठ लाख छत्तीस हजार छह सौ सत्तर सात रुपये मात्र) के शेष विक्रय प्रतिफल में से कम से कम कुछ राशि बहुत पहले ही जमा कर सकता था, लेकिन उसने अगस्त, 2020 के अंत तक एक पैसा भी जमा न करने का चुनाव किया। जब भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड विनियमावली, 2016 की अनुसूची I के नियम 12 का पहला *परंतुक* मांग की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति के बाद ब्याज 12% प्रति वर्ष के दर से भुगतान के अधीन विक्रय प्रतिफल का भुगतान करने की अनुमति देता है, तो नीलामी खरीदार के दोषरहित आचरण न होने पर उसे बिना किसी दंड के छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

36.12 वर्तमान मामले के तथ्यों के समग्र दृष्टिकोण पर जो यह प्रकट करता है कि 10 फरवरी, 2020 को कुर्की आदेश को हटाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद भी शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने में नीलामी खरीदार की ओर से घोर व्यतिक्रम हुई, केवल एक प्रश्न जिसका उत्तर देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या इस न्यायालय को नीलामी को रद्द करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और उसके क्रम में, नीलामी खरीदार के पक्ष में परिसमापक द्वारा जारी किए गए विक्रय प्रमाणपत्र को शून्य और अमान्य घोषित करना चाहिए, जैसा कि अपीलकर्ता ने निवेदन किया है।

36.13 हमारी राय में, ऐसा आदेश बहुत कठोर होगा। अब तक बहुत समय बीत चुका है। विचाराधीन भूमि का उपयोग नीलामी खरीदार द्वारा एक 200 बिस्तर का मातृ और बाल अस्पताल बनाने के लिए किया गया है जो चालू है। नीलामी खरीदार द्वारा परियोजना में भारी राशि लगाई गई है। अस्पताल पूरी तरह से कार्यशील है और आसपास के सात जिलों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता एक सजग मुकदमेबाज नहीं रहा है। उसका आचरण दर्शाता है कि उसने हर चरण पर टालमटोल किया है। अभिलेखों से पता चलता है कि उसके द्वारा नीलामी खरीदार को समय का विस्तार देने वाले न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को वापस लेने की मांग करने के लिए विलंबित आवेदन दायर किए गए हैं। उसे ज्ञात कारणों से, अपीलकर्ता को आई.बी.सी. में दिए गए प्रावधानों के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने में 19 महीने लग गए। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने उत्तरदाताओं को विचाराधीन संपत्ति का कब्जा सौंपने का विरोध किया जिससे और विलंब हुआ।

36.14 इस न्यायालय को सुस्थापित विधिक स्थिति पर जोर देना चाहिए कि एक बार नीलामी की पुष्टि हो जाने के बाद, इसमें काफी सीमित आधारों पर ही हस्तक्षेप किया

जाना चाहिए। (***संदर्भः वलजी खिमजी एंड कंपनी बनाम हिंदुस्तान नाइट्रो प्रोडक्ट (गुजरात) लिमिटेड (आधिकारिक परिसमापक)***[56] और ***सीईएलआईआर एलएलपी बनाम बाफना मोटर्स (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य)***[57]। सार्वजनिक नीलामी में बार-बार हस्तक्षेप भी अनिश्चितता पैदा करता है और नीलामी आयोजित करने के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। (संदर्भः ***के. कुमारा गुप्ता बनाम श्री मार्कंडेय और श्री ओमकारेश्वर स्वामी मंदिर और अन्य***[58])। जब तक कि नीलामी के संचालन में कोई गंभीर दोष न हो, जैसे कि धोखाधड़ी/सांठगांठ का होना, गंभीर अनियमितताएं जो ऐसी नीलामी के मूल तक जाती हैं, न्यायालयों को साधारणतया उन्हें रद्द करने से परहेज करना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि ऐसे आदेश का क्या क्रमिक प्रभाव होगा। ऊपर बताए गए तथ्यों को देखते हुए, हम विक्रय को रद्द करने या विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने से परहेज करेंगे। इसके बजाए, यह उचित माना जाता है कि नीलामी खरीदार को विचाराधीन संपत्ति के संबंध में एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश देकर साम्य को संतुलित किया जाए।

निष्कर्ष

36.15 एक न्यायसंगत और उचित आंकड़े पर पहुँचने के लिए, हम परिसमापक द्वारा नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के संदर्भ में विचाराधीन संपत्ति के अनुमानित मूल्य पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं। उनके प्रतिवेदनों के आधार पर, परिसमापक ने ई-नीलामी के उद्देश्य के लिए विचाराधीन संपत्ति के औसत परिसमापन मूल्य के रूप में ₹39,41,28,800/- (रूपये उनतालीस करोड़ इकतालीस लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ मात्र) निर्धारित किया था। इस आंकड़े को नीलामी के दूसरे दौर में

56 [2008] 12 एस.सी.आर. 1 : (2008) 9 एस.सी.सी. 299

57 [2023] 13 एस.सी.आर. 53 : (2024) 2 एस.सी.सी. 1

58 [2022] 8 एस.सी.आर. 968 : (2022) 5 एस.सी.सी. 710

25% कम किया गया था जो ₹29,55,96,375/- (रूपये उनतीस करोड़ पचपन लाख छियानवे हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) हो गया। ऊपर उल्लिखित दो आंकड़ों में अंतर लगभग ₹10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) आता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नीलामी क्रेता 10 फरवरी, 2020 से गणना करने पर छह महीने से अधिक और 25 मार्च, 2020 से गणना करने पर लगभग पाँच महीने के लिए शेष विक्रय प्रतिफल को बनाए रखने में कामयाब रहा, हम अंतर की राशि का 50%, अर्थात ₹5,00,00,000/- (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की अतिरिक्त राशि, 26 मार्च, 2020 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ परिसमापक के पास जमा करने का निर्देश देना उचित समझते हैं। उक्त राशि का भुगतान नीलामी क्रेता द्वारा आज से आठ सप्ताह के भीतर परिसमापक के पास किया जाएगा। इसके बाद, परिसमापक प्राप्त राशि को आई.बी.सी. के तहत परिकल्पित रूप से, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित/पारित किए जा सकने वाले आदेशों के संदर्भ में वितरित करेगा।

36.16 अपीलें उपर्युक्त शर्तों पर आंशिक रूप से अनुज्ञात की जाती हैं। पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करेंगे।

मामले का परिणाम: अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गईं।

निर्णय सार लेखन: अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।